05/2013

सप्रू हाउस लेख

पानी के खतरे पर रोक
नदी सहभाजन का कानूनी सिद्दांत तथा
सीमापार नदियों के प्रबंधन का ढांचा

गंगेश श्रीकुमार वर्मा

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली - 110 001

पानी के खतरे पर बांध

नदी बँटवारे के कानूनी सिद्धांत तथा सीमापार नदियों के प्रबंधन हेतु ढ़ाचागत व्यवस्था

गंगेश श्रीकुमार वर्मा

पानी के खतरे पर बांध: नदी बँटवारे के कानूनी सिद्धांत तथा सीमापार नदियों के प्रबंधन हेतु ढ़ाचागत व्यवस्था

प्रथम प्रकाशित, 2013

कॉपीराइट © अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय
परिषद ISBN : 978-93-83445-02-8

सभी अधिकार संरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को कॉपीराइट मालिक से अनुमति के बगैर पुनरुत्पादित, पुनःप्राप्ति प्रणाली में भंडारित, अथवा किसी भी प्ररूप में चाहे इलैक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी से रिकार्डिंग अथवा अन्यथा, रूपांतरित नही किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में व्यक्त किये गये तथ्य एवं मतों की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक के पास सुरक्षित है तथा उसका विवेचन आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों को व्यक्त नहीं करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय
परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई
दिल्ली- 110 001, भारत
Tel. : +91-11-23317242, Fax: +91-11-23322710
www.icwa.in

के द्वारा प्रकाशित
अल्फा ग्राफिक्स
6A/1, गंगा चैम्बर्स, डब्ल्यू. ई.
ए., करोल बाग, नई दिल्ली-
110005 Tel. : 9312430311
ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषयवस्तु

परिचय 5

पानी सहभाजन के कानूनी सिद्धांतों का ऐतिहासिक विकास 9

निरपेक्ष आधिपत्य सिद्दांतों का विखंडन 10

द हरमन डाक्ट्राइन तथा द रियो ग्रैंड रिवर विवाद 10

अच्छी पड़ोस के सिद्धांत का आविर्भाव 11

रूचि के समुदाय की धारणा का विकास 12

अंतर्राष्ट्रीय जलधाराओं के गैर-नौसंचालन उपयोग

का कूटीकृत अंतर्राष्ट्रीय कानून 13

हेल्सिंकी नियम 14

अंतर्राष्ट्रीय जलधाराओं पर यूएन समझौता 15

भारत तथा अतर्राष्ट्रीय जलधाराओं पर यूएन समझौता 16

द बर्लिन नियमावली, 2004 17

आईएलसी द्वारा कूटीकृत स्थायी सिद्दांत 19

आईएलसी द्वारा कूटीकृत प्रक्रियात्मक सिद्धांत 25

भारत का सीमापार नदी प्रबंधन 29
सहभाजन तालाब प्रबंधन का संस्थानीकरण 32
भारत की सीमापार नदियों के सहभाजन तालाब प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व 34
निष्कर्ष 39
समाप्ति टिप्पणी 42

पानी के खतरे पर बांध: नदी बँटवारे के सिद्धांत तथा सीमापार नदियों के प्रबंधन हेतु ढ़ाचागत व्यवस्था

परिचय

सभ्यता का उद्भव व विस्तार नदियों के साथ हुआ-मानव समायोजनों की प्रारंभिक कुछ जीवनरेखाओं में से नील एव इंदुस भी हैं। पानी हमेशा जीवन के केद्र में रहा है व अभी भी है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार वर्ष 2025 तक अनुमानित रूप से 1800 मिलियन लोग घोर पानी की कमी वाले क्षेत्रों अथवा देशों में रह रहे होंगे तथा विश्व की जनसंख्या के दो तिहाई आबादी तनाव की स्थिति में हो सकती है।

सीमापार नदियां अनुमानित तौर पर विश्व के ताजे पानी का लगभग 60 प्रतिशत प्रदान करती हैं। सीमापार नदियां भूमि की आधी सतह को कवर करती हैं तथा विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या का घर हैं। आज विभिन्न देश पानी के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वार्ताओं में लगे हुए हैं फिर भी देशों में विकास की बढ़ती मांग और उनकी बढ़ती आबादी के साथ सीमापार नदियों के प्रबंधन के लिए तटवर्ती राष्ट्रों में दुश्मनी और असंतोष बढ़ता जा रहा है।

1978 में यूएन नें 214 अंतर्राष्ट्रीय जलाशयों को सूचीबद्ध किया था। 2005 तक यह संख्या बडे पैमाने पर राजनीतिक बदलावों के द्वारा नये राष्ट्रों के गठन के कारण जैसे कि तत्कालीन सोवियत संघ और बाल्कन राज्यों के भागों में बंटने के साथ-साथ बेहतर मैपिंग तकनीक तक पहुंच होने से 263 तक पहुँच गयी। नदियां राजनीतिक सीमाओं को नहीं जानती हैं तथा जब इन जलधाराओं के आर-पार सीमाओं का निर्धारण किया गया तो इसके परिणामस्वरूप मतभेद उभरे।

पानी पर संघर्ष का आगमन कई लोगों के मध्य हुआ। पूर्व महासचिव बोट्रोस बोट्रोस-घाली ने कहा है कि 'मध्य पूर्व में अगला युद्ध पानी के ऊपर ही लड़ा जाएगा, राजनीति पर नहीं '। 2001 में उनके उत्तराधिकारी कोफी अन्नान ने कहा कि ' भविष्य में ताजे पानी के लिए उग्र प्रतिस्पर्धा झगड़े और युद्द का स्रोत बन सकती है' तथा उनके उत्तराधिकारी यूएन के वर्तमान महासचिव बान की मून के अनुसार 'कि मानवता के लिए इसके परिणाम गंभीर हैं'। पानी का अभाव आर्थिक एवं सामाजिक हितों को खतरे में डालता है तथा यह युद्ध एवं मतभेदों का एक प्रबल ईंधन है ; यूनेस्को के भूतपूर्व महानिदेशक, फ्रेडेरिको मेयर ने चेताया है कि 'चूंकि पानी तीव्र गति से दुर्लभ हो रहा है तो यह मतभेदों को उत्पन्न करने में में अत्यधिक मांग में सक्षम हो जाता है'। पेट्रोल एवं जमीन से भी अधिक यह पानी के ऊपर निर्भर है कि निकट भविष्य में इस पर सबसे खतरनाक युद्द हो सकता है।

हरित विकास और गरीबी उन्मूलन के सभी कारकों में पानी एक आम कारक है तथा ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ऊर्जा की बढ़ती मांग पहले से ही संकुचित जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालेगी।

विश्वसनीय तथा महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए पानी एवं ऊर्जा प्रणालियों की क्षमता गरीबी में कमी और अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषरूप से एशिया प्राकृतिक संसाधनों विशेषरूप से पानी पर पड़ने वाले प्रभाव का सामना कर रहा है। पानी संबंधी संघर्षों की सबसे अधिक संभावना एशिया में है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2010 में भारत में कुल पानी का आहरण कुल 761 प्रतिशत था जिसमें से 91 प्रतिशत अथवा 688 किमी सिचाईं के लिए था। चुनौती इसके दक्षतापूर्ण समाधान को ढूंढने जो कि पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनना है। यदि नये समाधानों के माध्यम से कोई दक्षता हितों की प्राप्ति नहीं होती है तो यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक एक औसत विकास क्रम में वैश्विक पानी की आवश्यकता 4500 बिलियन से बढ़कर 6900 बिलियन तक पहुंच सकती है जो कि वर्तमान में उपलब्ध और विश्वसनीय आपूर्ति का 40 प्रतिशत है।

एक बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए चावल, गेंहू तथा चीनी के उत्पादन की घरेलू मांग चालित आधार पर भारत में 2030 तक पानी की आपूर्ति की मांग के लगभग 1.5 ट्रिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इस मांग के सापेक्ष वर्तमान आपूर्ति लगभग 740 मिलियन है। इसलिए भारत के अधिकतर जलाशय 2030 तक पानी की भारी कमी से जूझ रहे होंगे अगर इस दिशा में ठोस तथा संहत कार्रवाई नहीं की गई तो विशेषरूप से घनी आबादी वाले नदी के तटवर्तीय क्षेत्रों जैसे कि गंगा आदि के संबंध में।

भारत सह-जातीय राष्ट्रों के साथ कठिन संबधों का सामना कर रहा है तथा ताजे पानी की बढ़ती मांग के साथ अनुमान लगाया गया है कि 2025

तक यह पानी के दबाव में होगा व 2050 तक पानी दुर्लभ हो जाएगा। हाल की घटनाओं में सामने आया है कि भारत कैसे ब्रह्मपुत्र के ऊपरी समतल भागों में चीन के पन आधिपत्य का पीड़ित रहा है, जबकि बांग्लादेश भारत की जल-कूटनीति से असंतुष्ट है तथा नेपाल भी भारत के पनबिजली परियोजनाओं को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। पाकिस्तान के साथ किया गया सिंधु जल समझौता किशनगंगा डैम के बनाये जाने पर की जाने वाली मध्यस्थता के ऊपर विवाद के कारण फिर एक बार चर्चा में था। इस संबंध में भारत को अपने सीमापार नदियों के लिए एक अधिक मजबूत पानी सहभाजन रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है।

मीठे पानी की मांग और आपूर्ति के बीच के व्यापक अंतर के कारण सहजातीय देशों को अपनी आबादी के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने की आवश्यकता है। जबकि ऊपरी सहजातीय राष्ट्र बिना किसी बाधाओं के जल संसाधनों का उपयोग करने की इच्छा रखते हैं वहीं निचले सहजातीय देश अपनी सीमापार नदियों से प्रवाह के न्यूनतम हिस्से की रक्षा करना चाहते हैं। ये परस्पर विरोधी उद्देश्य और दावे इन्हें कूटनीतिक व्यस्तता प्रदान करते हैं और पानी-राजनीति के बीज को अंकुरित करते हैं। पानी एक नई चुनौती बन चुका है , जो लोगों और सरकारों को पानी की सुरक्षा के लिए नवीन समाधान खोजने के लिए आपस में उन्नत सहयोग स्थापित करने के लिए मजबूर कर रहा है जल सुरक्षा के जटिल चक्रव्यूह के माध्यम से निकल कर एक शांतिपूर्ण समाधान और परस्पर लाभकारी निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ नियमों और सिद्धांतों की सहायता लेने की आवश्यकता होती है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन के लिए व सहजातीय देशों के मध्य सहयोगी कोशिशों को बढ़ाने के लिए नियमों की एक रूपरेखा प्रदान करता है।

यह लेख सीमापार नदियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन कानूनी सिद्दांतों के अध्ययन का प्रस्ताव करता है तथा भारत के सीमापार नदियों के लिए संस्थागत सहभाजन तालाब प्रबंधन को तैयार करने के लिए इन सिद्दांतों का उपयोग के महत्व पर विचार करता है।

पानी सहभाजन के कानूनी सिद्दांतो का ऐतिहासिक विकास

अंतर्राष्ट्रीय जल कानून को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला, नौपरिवहन उपयोगों का प्रचालन करने वाला तथा दूसरा गैर-नौपरिवहन उपयोगों को प्रचालित करने वाले कानून। जल के नौपरिवहन उपयोगों को शासित करने वाले कानून को कोडीकृत कर दिया गया है और पानी के गैर-नौपरिवहन प्रचालन कानून की अपेक्षा एक अधिक संस्थापित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इस भिन्नता का कारण मानव जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास को माना जा सकता है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने न केवल सामान के लिए बल्कि पूरे महाद्वीप में लोगों के लिए भी बहुत अधिक परिवहन उपलब्ध कराया है। नदियां ही परिवहन का मुख्य साधन थीं चूंकि अन्य माध्यम अपने विकास के आरंभिक चरणों में थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक परिवहन के अन्य साधनों का उन्नत विकास हो जाने के कारण तथा दूसरे देशों का अन्य छोटे-छोटे राजनैतिक एककों में बँटने व नये देशों का निर्माण जिनकी नयी सीमाएं थी लेकिन जो नदियों को साझा करती थी जिन्हें बांटा नहीं जा सकता था इन कारणों के साथ जलमार्गों के नौपरिवहनीय उपयोग में आंशिक रूप से गिरावट आ चुकी थी।

हालांकि पानी के गैर-नौपरिवहन उपयोगों को शासित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानून पिछली एक सदी से विकसित हो रहा है फिर भी यह अपने संरचनात्मक स्तर पर है। नदियों के गैर-नौपरिवहन उपयोगों का प्रारंभिक स्रोत सहजातीय अधिकारों का मूल कानून है जिसका निर्माण अंग्रेजी कानूनी प्रणाली के द्वारा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कानून के

सामान्य सिद्धांतों से युक्त अधिकारों के इस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के न्यायशास्त्र की नींव रखी थी।

निरपेक्ष आधिपत्य सिद्दांतों का विखंडन

सीमापार जलमार्गों के गैर-नौपरिवहन उपयोगों के संबंध में कानूनों के विकास पर प्रारंभिक चरणों में अनेक सिद्धांत और नियमों को लागू किया गया था। इस विविधता ने राज्यों के बीच असंगत अभ्यास और मौजूदा कानूनी सिद्धांतों के पुनर्मूल्यांकन की सख्त आवश्यकता को प्रतिबिंबित किया।

द हरमन डाक्ट्राइन तथा द रियो ग्रैंड रिवर विवाद

पूर्ण क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को आमतौर पर 'हारमोन सिद्धांत' के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ 1896 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी के विवाद पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत की गई मुखर राय के कारण उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य के पास उसकी सीमा के अंदर उपलब्ध पानी पर उसकी पूर्ण संप्रभुता का अधिकार है और वह इसका जैसे चाहे उपयोग कर सकता है जो है और अपने तटवर्ती राज्यों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बावजूद भी वह इस पानी का मनचाहा उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी तटवर्ती राज्य दूसरे राज्य से पानी के क्रमिक बहाव की मांग नहीं कर सकता है। विश्व व्यवस्था की वेस्टफेलियन अवधारणा ने पूर्ण क्षेत्रीय संप्रभुता की जासूसी की है , हालांकि सीमापार जल के मामलों में , इस अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त नहीं है और इसकी घोर आलोचना हुई थी बल्कि रियो ग्रैंड

नदी विवाद का समाधान करने वाला समझौता मुख्यरूप से बराबर आबंटन पर आधारित था ना कि पूर्ण संप्रुता के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत को 'आज की अन्योन्याश्रित जल-दुर्लभ दुनिया में पिछड़ा/अतिवाद माना जाता है'।

इसी प्रकार, निरपेक्ष प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत एक और वेस्टफेलियन अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी प्रासंगिक है वह पानी के बंटवारे और अंतरराष्ट्रीय जल कानून के व्यावहारिक दायरे के लिए अनुपयुक्त है। यह सामान्य कानून का अधिकारवादी सिद्धांत है जो कि प्राकृतिक प्रवाह सिद्धांत पर आधारित है , जिसके अनुसार निचला तटवर्ती क्षेत्र पानी के अपने भाग को निर्बाध और अपनी प्राकृतिक स्थिति में प्राप्त करने के अधिकार का दावा करता है। इस सिद्धांत को अधिक समर्थन नहीं मिला और इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया जैसा कि लेक लैनक्स मध्यस्थता के प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में देखा जा सकता है

उस नियम को जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय जलकुंडों के हाइड्रोलिक प्रवाह का उपयोग केवल उसी स्थिति में कर सकते हैं जिसमें उन्होंने इच्छित राष्ट्रों के साथ पहले से समझौता कर लिया हो उसे प्रचलन अथवा यहां तक कि कानून के एक सामान्य नियम के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।

निरपेक्ष प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत पूर्णतया निचले तटवर्ती देशों के हित में हैं तथा आंतरिक रूप से यह ऊपर स्थित तटवर्ती देशों के उपयोग के न्यूनतम आवश्यकताओं तक सीमित रखने का प्रावधान करता है। इस कानून नें भी पूर्ण क्षेत्रीय संप्रभुता के सिद्धांत की तरह ही आलोचना पाई तथा यह समकालीन अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के भाग के रूप में भी मान्यता नहीं प्राप्त कर पाया है।

अच्छी समीपता के सिद्धांत का उदय

इस प्रकार उच्च क्षेत्रीय संप्रभुता अवधारणाओं को अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई तथा इन सिद्धांतों के विफल होन के बाद

अच्छे पड़ोसी अथवा सीमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत उभरकर प्रकाश में आया। इस सिद्दांत का उदय रोमन कानून सूत्रवाक्य सिक उटेरो टूटो उट अलीनम नान लेडास से हुआ।

इस अवधारणा के अधीन देश अपनी संप्रभुता का उपयोग अपने सह-तटवर्ती देशों के क्षेत्र को पहुँचने वाले नुकसान पर रोक लगाते हुए अपने संसाधनों का उपयोग अपने क्षेत्र के भीतर करने के लिए कर सकता है। इसके सिद्धांत को कुछ सीमा तक जल संसाधनों के उपयोग से आस-पड़ोस के क्षेत्र में पड़ने वाले बुरे प्रभावों को सहन करना भी शामिल है। हालांक इस प्रकार का नुकसान कानूनी रूप से अनुमेय वैध जोखिम तक सीमित और अच्छे पड़ोसियत के सिद्धांत तक सीमित रहना चाहिए। इस सिद्धांत को अनेक संधियों, समझौतों और कानूनी निर्णयों में भी लागू किया गया था। बड़े पैमाने पर इसकी स्वीकृति ने अच्छी पड़ोसियत के सिद्धांत को तैयार किया तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए मानक स्थापित किये। इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कमी, नुकसान अथवा क्षति तथा इसके जोखिम की विशेषता की परिभाषा का न होना है। यद्यपि अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति प्राप्त है, इसकी कमी को दूर करने हेतु न्यायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी न्यायशास्त्र की आवश्यकता होती है जो साझा जलस्रोतों की भौतिक और प्राकृतिक एकता के लिए जिम्मेदार हों। सीमापार पानी को एक साझा संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए जो उन समुदायो के बीच एक सहकारी समझौते की आवश्यकता है जो संसाधन को साझा करता है।

रुचि के समुदाय के विकास की अवधारणा

'रुचि के समुदाय' की अवधारणा का विकास जल साझा करने संबंधी लागू मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए

किया गया था इस सिद्धांत का पूर्व में किया गया। इस सिद्धांत का पूर्व का आकलन नदी के क्रम में था। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय नें माना किः

'समस्याओं का समाधान.....तटवर्ती देशों के समुदाय के हित में..... ढूंढा गया है। यह रुचि का समुदाय एक आम कानूनी अधिकार का वैध आधार बन गया है जिसके मुख्य पहलुओं में सभी तटवर्ती देशों में नदी के पूरे बहाव क्षेत्र का बराबर बटवाँरा तथा अन्य तटवर्ती देशों की तुलना में किसी तटवर्ती देश के अधिमान्य विशेषाधिकारों को शामिल न करना शामिल है'

यद्यपि न्यायालय ने नौपरिवहन के मुद्दे पर विचार किया गया 'सामान्य फ्लूवियल कानून का आम सिद्धांत' इस निर्णय के व्यापक प्रयोग पर विचार करता है। यह सिद्धांत सीमित क्षेत्रीय संप्रभुता तथा अच्छे पडोसी , लेकिन सामान्य रूप से application30 में फ़्लूविअल लॉ के of सामान्य सिद्धांतों का विचार इस निर्णय के व्यापक आवेदन को समाप्त करता है। यह सिद्धांत तारीफ और सीमित क्षेत्रीय संप्रभुता और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत की सराहना करता है व इसे बल प्रदान करता है। यह सहकारी प्रबंधन को प्रोत्साहित करके एकतरफा राज्य कार्रवाई और प्रतिबंध से हटकर है।

अंतराष्ट्रीय जलस्रोतों के गैर-नौपरिवहन उपयोग पर कोडीकृत अंतर्राष्ट्रीय कानून

उपरोक्त वर्णित सिद्धांत सयम के साथ विकसित हुए तथा कुछ ने सभी देशों के लिए बाध्यकारी संधि के दायित्वों के होते हुए भी प्रथागत अतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए इन्हें स्पष्ट किया है। पानी के गैर-नौपरिवहन उपयोग पर की गईं अनेक कोडीकृत कोशिशें, प्राथमिक तौर पर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ (आईएलए), अंतर्राष्ट्रीय

कानून संस्था (आईआईएल) तथा अतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (आईएलसी) द्वारा की गई।

आईआईएल तथा आईएलए दोनों ही गैर-सरकारी संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण ढंग से योगदान कर रहे हैं। इन्होंने पानी के गैर-नौपरिवहन उपयोग पर अनेक नियमों का निर्माण किया है तथा दिशानिर्देशों को संकलन किया है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत के गैर-नौपरिवहन उपयोग पर द्विपक्षीय संधियों, दिशानिर्देशों, नियमों और सहमतियों के मध्य वह मुख्य साधन जो मौजूदा कानूनी ढ़ांचा प्रदान करते हैं उन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता हैः

1. दि हेल्सिंकी रूल्स आंन दि यूज ऑफ दि वॉटर ऑफ इंटरनेशनल रिवर्स, 1966 (इसके बाद इन्हें हेल्सिंकी नियमों के नाम से जाना जाएगा)।

2. दि यूएन कन्वेंशन आंन दि लॉ ऑफ नान-नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेस, 1997 (आज के बाद यूएन कंन्वेशंन आंन इटरनेशनल वाटरकोर्सेस के नाम से प्रचलित)।

3. दि बर्लिन रूल्स, 2004।

दि हेल्सिंकी नियम

हेल्सिंकी नियम उस समय के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के कोडीकरण का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था। दि हेल्सिंकी नियमों को उन सभी निकासी तटवर्ती

घाटियों पर लागू करने के लिए बनाया गया था जहां ये राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं सिवाय इस बात के कि वहां पर सीमा साझा करने वाले राष्ट्रों के मध्य कोई अन्य समझौता मौजूद तो नहीं है। इसने संसाधन के पिछले प्रथागत उपयोगों और सीमावर्ती राष्ट्रों की बदलती जरूरतों और मांगों को संतुलित करने जैसे कारकों पर विचार करने के साथ सभी सीमावर्ती राष्ट्रों के अधिकारों को जल संसाधनों में एक समान हिस्से के रूप में शामिल किया। इसने जल प्रदूषण के संबंध में राष्ट्रों की सीमा से संसाधन की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया और ऐसे जलस्रोतों के उपयोग पर विवादों को हल करने के लिए संस्तुतियों का भी निर्धारण किया।

अतंर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर दि यूएन सहमति

हालांकि दि हेलसिंकी रूल्स कुछ निश्चित पहलुओं में अपर्याप्त साबित हुए विशेषकर क्योंकि ये स्वतंत्र जलदायी स्तरों जो कि नदियों से जुड़े हुए नहीं थे उनका समाधान निकालने में असमर्थ रहा। आईएलसी नें इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के माध्यम से मौजूदा सिद्धांतों को कोडिफाई करके मजबूत किया। इस सहमति का मसौदा तैयार करने की कार्यवाई 1970 में प्रारंभ हुई, आईएलसी ने जलस्रोतों से संबंधित कानूनों का 24 वर्षों तक अध्ययन किया तथा इस पर अपना सहमति का निबंध प्रस्तुत किया। दि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (यूएनजीए) की छठवीं कानूनी समिति ने इस निबंध पर 1996 तथा 1997 में विचार-विमर्श किया और अंततः अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोंतों के उपयोग पर गैर-नौपरिवहन के कानूनों पर सहमति को यूएनजीए द्वारा अपना लिया

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर यूएन सहमति लागू नहीं हुई। इस संधिपत्र का अनुच्छेद 36 व्यवस्था करता है कि अनुसमर्थन , अभिग्रहण, स्वीकृति या अनुमोदन के 35वें साधन के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा होने के बाद 19वें दिन से लागू होगा। वर्तमान में लागू होने में प्रवेश के लिए आवश्यक 30 प्रतिस्पर्धी देशों में से पांच कम हैं। इजराइल, इजिप्ट, पाकिस्तान तथा 23 अन्य देशों के साथ भारत भी मतदान से दूर रहा। क्रमशः मेंक्योंग तथा टाईग्रस-यूफ्रेटस नदी प्रणाली के ऊपर तटवर्ती देशों को प्रदर्शित करते हुए चीन और तुर्की ने इसके खिलाफ मतदान किया।

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतो पर भारत तथा द यूएन संधिपत्र

संधिपत्र के मतदान के समय भारत के प्रतिनिधि ने जलस्रोतों पर यूएन संधिपत्र के अनेक पहलुओं का विरोध किया। भारत की आपत्तियां विशेषकर गलत और अस्पष्ट प्रावधानों को लेकर था। इस बात पर विचार किया गया कि सामान्यतौर पर ढ़ांचेगत संधिपत्र को सामान्य सिद्धांत प्रदान करने चाहिए लेकिन वर्तमान संधिपत्र इस पहुँच से भटक गया था। इसने विशेषरूप से अनुच्छेद 3, 5, 32 तथा 33 पर अपनी असहमति व्यक्त की। मुख्य रूप से इन लेखों ने राज्य की स्वायत्तता , 'न्यायसंगत और उचित उपयोग' की अस्पष्टता को, 'स्थायित्व उपयोग' के सिद्धांत प्रभावित किया, वह भी बिना स्थायित्व शब्द की पर्याप्त व्याख्या के।

भारतीय प्रतिनिधियों नें इसका भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 32 क्षेत्रीय एकीकरण का समर्थन करता है। इस पर्यवेक्षण को उन तटवर्तीय परिस्थितियों में समझना अधिक उचित जिन तटवर्तीय परिस्थियों में भारत स्थित है। सभी तटवर्तीय क्षेत्रों को शामिल करने वाली क्षेत्रीय क्रिया प्रणाली की कमी गंभीर रूप से किसी भी सहकारी प्रयास को बाधित करती है और विशेषकर विवादों के समाधान में। इसमें यह जोड़ते हुए भी यह बताया गया था कि तीसरे पक्ष विवाद प्रक्रिया को इसमें जोड़ना भी अनुपयुक्त था चूंकि यह इस संधि में कहीं भी स्थान धारित करने का हक नहीं रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र में निहित सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण इस लेख के अगले भाग में किया गया है।

द बर्लिन नियमावली, 2004

अंतर्राष्ट्रीय जल कानून पर आईएलए योगदान हेल्सिंकी नियमावली पर ही नहीं रुका और इसने अन्य अनेक नियमावलियां जैसे कि 1972 में बाढ़ नियंत्रण पर अनुच्छेद, 1976 में अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर प्रशासन तथा 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जल स्रोतो पर लागू समकालीन कानूनों आदि को निर्गत करना जारी रखा। 1990 के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो रहा था कि आईएलए द्वारा अपनाये गये नियम सीमा में विस्तृत हो रहे थे और प्रकाश में आये अनेक नियमों को अनेक उपकरणों के द्वारा फैलाया जा रहा है। इसके पश्चात आईएलए ने इन सभी नियमों को एक अकेले दस्तावेज में समेकित करने का निर्णय लिया। इस समेकन के प्रारूप को 'अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर आईएलए नियम का कैम्पियन समेकन, 1966-1999' के नाम से जाना गया। इसके बाद आईएलए ने 200 में इस अतर्राष्ट्रीय जल कानून को, हेलिस्की नियम को संशोधित करते हुए तथा वर्तमान में मौजूद प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रम में अद्यतन करते हुए सशोधित करने का निर्णय लिया।

यह आईएलए द्वारा पानी के गैर-नौवहन उपयोगों के नियमों के कोडीकरण के नवीनतम प्रयास में समाप्त हुआ और फिर 2004 में बर्लिन नियमों का निर्माण किया गया। ये नियम हेल्सिकी नियमों का अधिक्रमण करते हैं और इसे बदलने के लिए डिज़ाइन किये गये हैं। बर्लिन के नियम मुख्यरूप से कि कई प्रावधान सभी जलस्रोतों - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर लागू होने के कारण, संयुक्त राष्ट्र की संधि और हेलसिंकी नियमों से भिन्न थे। इसके अलावा बर्लिन के नियम आगे समान तथा यथोचित उपयोग और बिना किसी अत्यधिक हानि के मध्य संबंध को भी स्पष्ट करता है।

हालांकि उपरोक्त विमर्शित नियम एवं संधियां पानी के गैर-नौपरिचालन उपयोग पर मौजूदा कानूनी ढ़ांचे का गठन करते हैं, इनमें से कोई भी उपसाधन कानूनी रूप से देशों के लिये बाध्यकारी नही है। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि भारत द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई थी और इसका यहां पर लागू होना बाकी है। यहां तक कि जब यह लागू होगा तो जब चीन, तुर्की तथा यहां तक कि भारत जैसे देश इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं तो इसका इन देशों के सीमापार नदियों के जल के प्रबंधन पर बहुत कम प्रभाव होगा। हालाँकि , हम विभिन्न सम्मेलनों में निहित प्रमुख सिद्धांतों को नदी के पानी के बंटवारे के आधुनिक कानूनी सिद्धांतों के रूप में रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि ने प्रभावी रूप से प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन सिद्धांतों को कोडीकृत करने का प्रयास किया। संधि में सम्मिलित किए गए इन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय जल कानून का स्तंभ कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के मुख्य सिद्धांत, अतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि में प्रतिष्ठापित किए गए तथा आसुत किये गये अन्य नियमों को निम्नानुसार वर्गीकृत और विचारित किया जा सकता हैः

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोंतो के गैर-नौवहन उपयोग के कानून के स्तंभ

स्थायी कानून	प्रक्रियात्मक कानून
1. बराबर तथा यथोचित उपयोग	1. सूचना आदान-प्रदान का कर्तव्य
2. कोई महत्वपूर्ण हानि नही है	2. सूचित करने का कर्तव्य
3. सहयोग करने के लिए सामान्य दायित्व	3. परामर्श और बातचीत करने का कर्तव्य

आईएलसी द्वारा कोडीकृत किये गये स्थायी सिद्धांत

1. *बराबर एवं यथोचित उपयोगः* बराबर एवं यथोचित उपयोग का सिद्धांत सर्वाधिक प्रमुख सिद्दांत है जो जल बंटवारे का समाधान करने वाले किसी भी साधन में अंतर्निहित है। यह अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोंतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि का महत्वपूर्ण भाग है।

अनुच्छेद 5 स्पष्ट करता है किः

> 'जलस्रोतों वाले देश अपने संबंधित क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत का बँटवारा बराबर एवं यथोचित तरीके से करेगा। विशेषरूप से एक अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत का उपयोग तथा विकास जलस्रोतों वाले देशों के द्वारा, इनका सर्वोत्तम तथा स्थायी उपयोग तथा उनसे लिये जाने वाले लाभों, जलस्रोतों वाले देशों के हित को ध्यान में रखते हुए, जलस्रोतों की क्रमिक व पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा'

यद्यपि लेख की भाषा एक दायित्व के रूप में तैयार की जाती है , यह राज्य के सह-सापेक्ष अधिकार को अपने क्षेत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीय जलकुंडों के उचित और न्यायसंगत हिस्से या उपयोगों और लाभों के हिस्से को भी व्यक्त करता है।

इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा 'गैबिकोवो-नगीमोरोस प्रोजेक्ट' के मामले में लागू किया गया है। न्यायालय ने ठीक प्रकार से 'बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम ... के उपयोग , विकास और जलस्रोत के न्यायसंगत और उचित तरीके से संरक्षण पर जोर दिया है'।

समानता का उपयोग अधिकारों की समानता की अवधारणा पर तैयार किया गया है। इस संदर्भ में अधिकारों की समानता का तात्पर्य तटवर्ती देशों के बीच एक साझा जलस्रोत के बराबर विभाजन से नहीं है। बल्कि , इन्हें देशों के द्वारा साझा किये जाने वाले जलस्रोतों के उपयुक्त उपयोगों तथा लाभों को मान्यता और संतुलन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

इस सिद्धांत के अनुप्रयोग को 'न्यायसंगत और उचित' का मूल्यांकन करते समय विचार किए जाने वाले मापदंडों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। भारत ने इस शब्द के अर्थ की अस्पष्टता को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों की संधि पर मतदान न करने का कारण बताया था। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर हेल्सिंकी नियम तथा संयुक्त राष्ट्र संधि दोनों ने तथ्यों की विस्तृत सूची जिसे उपयुक्त तथा यथोचित उपयोग का निर्धारण करने के कारक के रूप में विचार किया गया था, वह प्रस्तुत की।

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत की संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुच्छेद 6 में सूचीबद्ध मानक बदलते अंतर्राष्ट्रीय जल कानून की प्रकृति को प्रतिबिम्बित करते हैं। जबकि हेल्सिंकी नियम जल के पूर्व में उपयोग विशेषतः नदी को व्यक्त करता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत की संयुक्त राष्ट्र संधि इस तथ्य पर विचार नहीं करता है।

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर हेल्सिंकी नियम और संयुक्त राष्ट्र संधि दोनों उचित और न्यायसंगत उपयोग का निर्धारण करने में निम्नलिखित मानकों पर विचार करते हैं:

क. भूगोल, जल विज्ञान, जलवायु, पारिस्थितिक और अन्य प्रकृति पर

निर्भर कारक।

ख. तटवर्ती देशों की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं।

ग. प्रत्येक तटवर्ती देश की जनसंख्या जो उस पानी पर आश्रित है।

घ. उपयोग की विशेष योजना अथवा मौजूदा उपयोग के लिए मौजूद विकल्प।

a. एक तटवर्ती देश के उपयोग का प्रभाव दूसरे देशों पर।

इन मापदंडों का उपयोग करते हुए , राष्ट्रों के लिए सीमापार नदियों के उपयोग में उचित और न्यायसंगत उपयोग के सिद्धांत को नियोजित करना आवश्यक है। बहुधा सह-तटवर्ती देश एकतरफा मोड़ या सीमापार नदियों के उपयोग से असंतुष्ट होते हैं ; सह-तटवर्ती देशों के उचित और न्यायसंगत हिस्से को साझा करके इसे काफी हद तक टाला जा सकता है। हालांकि इस बात की सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि जब इन मापदंडों को लिखित से वास्तविकता में उतारा जाता है , तो निर्णय के लिए आंकड़े और मूल्य अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। गहन बातचीत और वार्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है और कानूनी अवधारणाएं उसी की नींव के रूप में कार्य करती हैं।

कोई महत्वपूर्ण हानि नहीः अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों में से एक है एक देश का सामान्य दायित्व दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आईएलसी नें अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों विशेषरूप से उन स्थितियों का समाधान करने के लिए जहां समान उपयोग दूसरे देश को नुकसान पहुँचा

सकता है उसके समाधान के लिए इस सिद्दांत को प्रस्तुत किया। इसलिए यह सिद्धांत एक तटवर्ती देश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत के समान उपयोग के अधिकार के लिए एक उपनिगमन दायित्व है। इस सिद्दांत के अनुप्रयोग में आने वाली प्रमुख कठिनाई यह है कि यहां 'महत्वपूर्ण' की कोई परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है। एक वास्तविक मानक को प्रस्तुत करने और जो कुछ महत्वहीन नहीं था , उसके खतरे को कम करने की मंशा के साथ आईएलसी ने प्रारंभ में 'कोई सराहनीय नुकसान नहीं ' मानक को अपनाया था। हालांकि 1994 प्रारूप अनुच्छेद में यह खतरे की सीमा तक 'कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं' में बदल गया। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि नें अनुच्छेद 7 (1) के अधीन कोई-महत्वपूर्ण नुकसान को नहीं अपनाया बशर्ते कि 'जलस्रोत वाले देश' अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत का उपयोग करते हुए दूसरे जलस्रोत वाले देशों को होने वाले महत्वपूर्ण नुकसानों को रोकने के लिए सभी उचित उपायों को अपनायेंगें।

नुकसान नहीं पहुंचाने का कानूनी दायित्व सह-तटवर्ती देशों को पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों , या पानी के बहाव को मोड़ने या सीमापार नदी पर निर्मित की जाने वाली नई संरचनाओं के निर्माण से सह-तटवर्ती राज्य की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। 'महत्वपूर्ण नुकसान ' को व्याख्यायित करने वाले पद, अथवा कारक इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में बहुत कठिनाई उत्पन्न करते हैं। यह तटवर्ती राष्ट्रों को सीमापार नदी को किसी भी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे कि इसका उपयोग 'महत्वपूर्ण' नुकसान के खतरे के अधीन किस सीमा तक किया जाय इसका विशेष अधिकार प्रदान करती है। इस बाधा को समुदाय के हित अर्थात सीमापार

नदी के प्रत्येक तटवर्ती राष्ट्र द्वारा सामूहिक रूप से संयुक्त रूप से तय किए गए मापदंडों के एक सेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के मापदंडों के मूल्यांकन को राष्ट्रों में लागू घरेलू पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तंत्र में शामिल किया जा सकता है।

इस अनुच्छेद के अधीन आवश्यकता अन्य जलस्रोंतो वाले राष्ट्रों को होने वाली महत्वपूर्ण हानि से बचाने के लिए सभी उचित उपायों को अपनाने की है इस प्रकार इस बाध्यता को मूल्यांकन के लिए एक उचित क्रिया प्रणाली तैयार करके, तथा सीमापार नदियों के जल को उपयोग हेतु परिचालित कर किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने में राष्ट्रों के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को प्रभावपूर्ण ढंग से इस ढांचे के अंतर्गत एक उचित घरेलू नियमों का सैट तैयार कर किया जा सकता है।

समन्वय के लिए सामान्य बाध्यताएः अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत पर संयुक्त राष्ट्र संधि का कोई भी प्रावधान इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग की क्रियाप्रणाली पर निर्भर करता है। फिर भी आईएलसी ने जानबूझकर इस सिद्धांत पर बल देने के लिए एक अलग प्रावधान बनाया है। संधि के अनुच्छेद 8 के विषय में अपनी टिप्पणी पर आईएलसी ने बताया है किः

'अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत के उपयोग के संबंध में जलस्रोतों के तटवर्ती राज्यों के बीच सहयोग, जलस्रोत के उपयोगों और लाभों के समान आवंटन की प्राप्ति और रखरखाव के लिए और मसौदा के भाग तीन में निहित प्रक्रियात्मक नियमों के सुचारू संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है'।

इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत पर संयुक्त राष्ट्र संधि के किसी अथवा सभी पहलुओं पर प्रभावी क्रियाप्रणाली के रूप में समन्वय स्थापित करने के लिए आईएलसी ने बाध्यताओं को स्थापित किया जिनमें उदाहरणार्थ, समानरूप से आबंटन तथा उपयुक्त उपयोग और अनुच्छेद 5, 6 तथा क्रमिक तौर पर अनुच्छेद 9 के अधीन सूचनाओं और डेटा का आदान-प्रदान करना; अधिसूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने में, तथा अनुच्छेद 11 से 19 के अधीन नियोजित उपायों के लिए परामर्श व बातचीत ; अनुच्छेद 20 से 28 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोंतो की सुरक्षा, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा अनुच्छेद 33 के अधीन विवादों का समायोजन शामिल है। यहां तक कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण से डेटा और सूचनाओं का विनिमय किया जाना आवश्यक न हो, वहां फिर भी राष्ट्रों को अनुच्छेद 31 के अधीन जितनी भी सूचनाएं आवश्यक हों उतनी प्रदान करने के लिए सद्भाव में काम करना होता है। अनुच्छेद 30 के अधीन जहां सीधे संपर्क के लिए गंभीर बाधाओं की स्थिति उदाहरणार्थ सेना के संघर्ष के दौरान भी राष्ट्रों को फिर भी चाहिए कि वें सहयोग के कर्तव्य को नामतः डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान एक परोक्ष माध्यम से जिसमें दोनों राष्ट्र सहमत हो के द्वारा जारी रखा जाए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के अधीन अधिकारों तथा कर्तव्यों के सभी पहलुओं की प्राप्ति इसके सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय की बाध्यता पर निर्भर करती है।

जहाँ सहयोग के लिए बाध्यता सभी अन्य प्रावधानों की नीव है, वहीं पृथक प्रावधान एक कर्तव्य का निर्माण करता है-जिसको किये जाने की

असफलता एक अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य में परिणत होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 8 में निर्धारित प्रावधान एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को जन्म देता है। अनुच्छेद 8 में प्रतिष्ठापित सिद्धांत के दो काँटेदार उद्देश्य हैं। पहला, 'यह अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत के उपयोग और प्रबंधन पर मतभेदों अथवा विवादों के समायोजन व निषेध के लिए विशेष जलस्रोत समझौते के माध्यम से आगे की विशिष्टताओं के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है '। यह अपने आप में वैध बाध्यता के तौर पर अढिग रहता है।

मैककैफ्रे के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब सहयोग की बाध्यता अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक आम सिद्धांत के रूप में मान्यता पा चुकी है। उनका मत है कि देशों के मध्य सहयोग अब केवल आवश्यक ही नहीं है बल्कि यह साधारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन यह जरूरी है। यह तथ्य कि इसमें कई प्रकार के प्ररूपों की आवश्यकता इसलिए यह किसी को यह समझने पर सीमित नहीं कर सकती है कि यह तटवर्ती देशों के लिए एक वास्तवकि, स्वतंत्र, बाध्यता नहीं है।

तटवर्ती हालांकि, सहयोग की बाध्यता अथवा कोई अन्य स्थायी कानूनी नियम बिना ठोस प्रक्रियाओं नामतः डेटा तथा सूचना, परामर्शों, वार्ताओं आदि के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के ठोस सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रक्रियात्मक अवसंरचना की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र के अंतर्गत इस प्रक्रियात्मक अवसंरचना को स्थापित करने में आईएलसी महत्वपूर्ण था।

आईएलसी द्वारा कोडीकृत प्रक्रियात्मक सिद्धांत

1. *सूचना विनिमय शुल्कः* सूचना विनिमय पर शुल्क का प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सर्वाधिक नियमों में से एक है। सूचना एवं डेटा का लगातार विनिमय तटवर्ती राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आधार है। यह आवश्यक है कि ताजे पानी के स्रोतो को साझा करने वाले देश इन स्रोतो से संबंधित सूचनाओं को बडे पैमाने पर नियमित आधार पर साझा करें। यह कर्तव्य बल्कि समान उपयोग तथ महत्वपूर्ण नुकसान की रोकथाम की बाध्यता का अभिन्न अंग है। जलस्रोत की स्थिति से संबंधित सह-तटवर्ती राष्ट्र से डेटा एवं सूचना के बगैर, किसी भी देश के लिए अपने स्वंय के क्षेत्र के अंतर्गत इसका उपयोग और परिचालन बहुत मुश्किल होगा तथा साथ-ही-साथ जलस्रोत को साझा करने वाले अन्य देशों के समान तथा उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करना लगभग असंभव होगा।

अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत पर संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र ने इस सिद्धांत को अनुच्छेद 9 तथा साथ ही अनुच्छेद 11 के अधीन कोडीकृत किया है।

अनुच्छेद 9 नियमित आधार पर सूचना विनिमय की बाध्यता का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 11 विशेषरूप से नियोजित मानकों पर सूचना विनिमय का प्रावधान करता है।

भारत तथा बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के माध्यम से नियमित आधार पर अपने डेटा और सूचना का आदान प्रदान करते हैं। यह डेटा विनिमय में पारदर्शिता लाता है और सीमापार जलस्रोतों के उचित एवं समान उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

2. *सूचित करने का कर्तव्यः* सूचित करने का कर्तव्य सह-तटवर्ती देशों को संभावित सीमापार क्षति से बचाने की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतो पर संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र अनुच्छेद 12 के अधीन 'उन नियोजित

उपायों जो महत्वपूर्ण दोषपूर्ण प्रभाव होते हैं ' को सूचित करने का प्रावधान है। आईएलसी, 1994 ड्राफ्ट अनुच्छेद की टिप्पणी में व्याख्यायित करता है कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 'महत्वपूर्ण गलत प्रभाव' से तात्पर्य 'महत्वपूर्ण क्षति' से निम्नतर होना है ; यह उस स्थिति को दूर रखने के लिए किया जाता है जिसमें किसी भी समय एक राज्य दूसरे नियोजित माप के राज्य को सूचित करता है, यह एक स्वीकृति है कि यह उपाय दूसरे जलस्रोत देश के लिए महत्वपूर्ण क्षतिकर परिणत होगा।

अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, सूचित देशों को नियोजित उपायों के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए दी गई सूचना के साथ कोई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के सहित, उपलब्ध तकनीकी डेटा और सूचना संलग्न होनी चाहिए। इसके अलावा संधिपत्र के प्रावधान अधिसूचना के पहलू तथा उसके उत्तर के रूप में एक संरचित क्षेत्र भी प्रदान करते हैं।

इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यदि किसी देश को अपनी जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा अथवा इसी प्रकार की अति आवश्यक आपात-स्थितियों के उपायों को क्रियान्वित करना है तो वह बिना अपने सह-तटवर्ती राष्ट्रों को सूचित किए ही इस प्रकार के उपायों को क्रियान्वित कर सकता है। दूसरा अपवाद यह है कि यदि सूचना को राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के लिए साझा किया जाना अति महत्वपूर्ण हो तो उस स्थिति में। इन दोनो ही मामलों में अपवाद का यह नियम सह-तटवर्ती राष्ट्रों को सूचना प्रदान करने से नहीं रोकता है मगर सूचना साझा किए जाने वाले समय-सीमा के मामले में पर्याप्त समय दिया जाता है।

ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी समतल भागों में चीन द्वारा निर्मित किए जा

रहे बाधों की श्रंखला भारत के लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आया। चीन अपने सह-तटवर्ती राष्ट्रों को सीमापार नदी पर बनाये जा रहे नियोजित उपायों के विषय में सूचित करने में असफल रहा। यद्यपि उसने दावा किया कि ये साधारण नदी परियोजनाएं है जो पानी के प्रवाह को प्रभावित नहीं करती हैं लेकिन भारत सहित सह-तटवर्ती राष्ट्रों के साथ सूचना व संबंधित डेटा को साझा किया जाना उसके लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है।

3. *परामर्श तथा बातचीत करने का कर्तव्यः* अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों के गैर-नौपरिवहन उपयोगों के कानून में परामर्श बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि अपने अनेक प्रावधानों के संबंध में परामर्श की बाध्यता को संदर्भित करती है। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 3 का पैराग्राफ 5 उल्लेख करता है कि 'जहां एक जलस्रोत धारित देश मानता है कि मौजूदा संधि के प्रावधानों का अनुप्रयोग एवं समायोजन की किसी विशेष अतर्राष्ट्रीय जलस्रोत के गुणों अथवा उपयोग के कारण आवश्यकता है, तो जलस्रोत धारित देश इस विचार के साथ, एक जलस्रोत समझौते अथवा समझौतों को निष्कर्षित करने के उद्देश्य से लिए सद्भाव से विचार-विमर्श करेंगे'।

अनुच्छेद 6 का पैराग्राफ 2 निर्धारित करता है कि ' संबंधित जलस्रोतों वाले देश, आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहयोग की भावना से परामर्श में शामिल होगे'। इस प्रकार के प्रावधान देशों को सह-तटवर्ती राष्ट्रों के अधिकारों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं तथा सीमापार नदियों के उचित तथा समान उपयोग के सिद्धांत को यथोचित सम्मान प्रदान किए बगैर एकपक्षीय कार्रवाई को प्रतिबंधित करते हैं।

इस प्रकार के कर्तव्य को प्रदर्शित किये जाते हुए उदाहरणस्वरूप

भारत तथा बांग्लादेश के बीच तिपाईमुख बांध के निर्माण में देखा जा सकता है। इस कर्तव्य के पालन में असफल रहने का उदाहरण चीन द्वारा भारत के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत किये बगैर ब्रह्मपुत्र के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे बांध के मामले में देखा जा सकता है। सीमापार नदियों के मामले में पानी को साझा करने के मूल सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए नदियों पर निर्मित की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में पारदर्शिता आवश्यक है।

प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के ये सिद्धांत जल-राजनीति के अंधेरे गलियारों में कुछ प्रकाश तो प्रदान करते हैं , हालांकि उनका लागू न किया जाना जल संघर्ष का मुख्य उत्प्रेरक है। 'यहां पर समस्या यह है कि.....रिवाज करते नही और कह सकते नहीं। यह एक ऐसा मामला है जिसे मामला-दर-मामला आधार पर बातचीत के द्वारा अवश्य निर्णित किया जाना है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में वार्तालाप सबसे अधिक प्रभावी प्रारूप है। भारत में सीमापार नदियों का प्रबंधन विशुद्ध रूप से द्विपक्षीय वार्ताओं पर निर्भर करता है। फिर भी, द्विपक्षीय वार्तालापों की अपनी सीमाएं होती हैं तथा देशों के मध्य राजनीतिक संघर्षों से बाधित हैं। इस प्रकार, एक बहु-स्तरीय मंच तथा एक संस्थागत एसबीएम प्रणाली पन-कूटनीति का सबसे अधिक उचित उपकरण है जो विवादित जल पर बाध के निर्माण का केंद्रक है।

भारत का सीमापार जल प्रबंधन

नदी को साझा करने से संबंधित भारत की समस्याएं इसकी स्वतंत्रता से ही प्रारंभ हो गई थी। ब्रिटिशों के जाने के बाद, एक बार का एकजुट देश बंट गया तथा राजनीतिक सीमाओं ने दो मुख्य नदियों-नामतः सिंधु एवं गंगा को दो भागों में बांट दिया। जहां सिंधु विवाद का समायोजन भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल संधि के द्वारा सुलझा लिया गया, वहीं गंगा नदी के पानी का बंटवारा समाधान करने के लिए एक कठिन मुद्दा था। जब पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उस समय गंगा एक और तटवर्ती राष्ट्र की मेजबान थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साधारण सीमापार नदियां हैं। यह झगड़े तथा सहयोग दोनों का कारण हो सकता है- जैसा कि समय के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश के संबंधों में देखा जा सकता है जहां फरक्का बैराज के मामले में विवाद तथा गंगा जल संधि के मामले में सहयोग रहा है।

बारिश तथा हिमालय में हिमशैलों से बर्फ का पिघलना भारत में पानी के दो मुख्य स्रोत हैं। यद्यपि बर्फ और ग्लेशियर ताजे पानी के कमजोर उत्पादक है लेकिन ये अच्छे वितरक हैं चूंकि ये जरूरत के समय गर्मियों के मौसम में पानी का उत्पादन कर देते हैं। दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी सत्र के दौरान चार से पाँच महीनों में नदियों का लगभग 80 प्रतिशत बहाव घटित हो जाता है। अनेक महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां ऊपर स्थित देशों से निकलती है और फिर अन्य देशों में प्रवाहित होती हैं, उदाहरण के लिए, सिंधु चीन से निकलती है और पाकिस्तान में बहती है, गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली आंशिक तौर पर चीन, नेपाल और भूटान से शुरू

होती है और बांग्लादेश में बहती है, कुछ छोटी नदियां म्यांमार तथा बांग्लादेश में बहती हैं।

एशिया में अंतर्देशीय जल विवादों की बहुत अधिक संभावना है जिसे यहां पर मौजूद लगभग 57 देशपार नदीतटों के द्वारा विशेषरूप से चिन्हित किया गया है। भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस आदि सहित कई एशियाई देश महत्वपूर्ण ढंग से नदियों तथा राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अंदर प्रवेश करने वाले जल पर निर्भर हैं।

भारत के समान देश की अपेक्षाकृत अद्वित्तीय स्थिति है। यह उच्च व निम्न दोनो प्रकार का तटवर्तीय देश है। सीमापार नदी पर निर्भर रहते हुए भारत की जिम्मेदारियां विविधता भरी हैं। भारत, सिंधु तथा गंगा नदियों के मामले में पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के लिए क्रमशः ऊपरी तटवर्ती देश है जबकि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मामले में नेपाल अथवा चीन के लिए क्रमशः निम्न तटवर्ती राष्ट्र है। इस प्रकार पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधों के प्रबंधन के लिए एक जैसे फार्मूले का होना भारत के लिए स्पष्टतया असंभव है।

इस संबंध में भारत के लिए अपनी द्विपक्षीय जल वार्ताओं से उठकर एक बहु-स्तरीय साझा तट प्रबंधन संस्थान तैयार करना उचित है।

वर्तमान में भारत की सभी सीमापार नदियों को प्रत्येक सह-तटवर्ती देशों के साथ द्विपक्षीय तौर से प्रबंधित किया जाता है। दोनो देशों के विशेषज्ञो से समाहित भारत तथा बांग्लादेश द्वारा स्थापित संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) भारत तथा इसके तटवर्ती पड़ोसी देशों के मध्य एकमात्र संयुक्त नदी प्रबंधन संस्थायित संस्थान है।

एसबीएस की अवधारणा एशिया के लिए नयी नहीं है। हालांकि

अमेरिकी तथा यूरोपियन देशों के द्वारा अग्रणी रहते हुए यह सीमापार नदियों के प्रबंधन के लिए आदर्श माँडल रहा है, एशिया में मेकांग नदी आयोग एसबीएम मॉडल के सफल कार्यान्वयन का एक आदर्श उदाहरण है।

राजनीतिक सीमाओं के बगैर नदियां

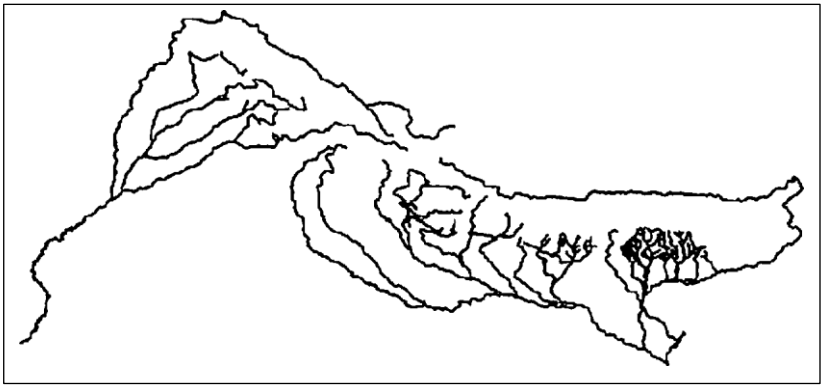

स्रोतः भारत के लिए जल सुरक्षाः बाह्य गतिबोधक, आईडीएसए टास्क फोर्स रिपोर्ट (2010)

राजनीतिक सीमाओं के साथ नदियां

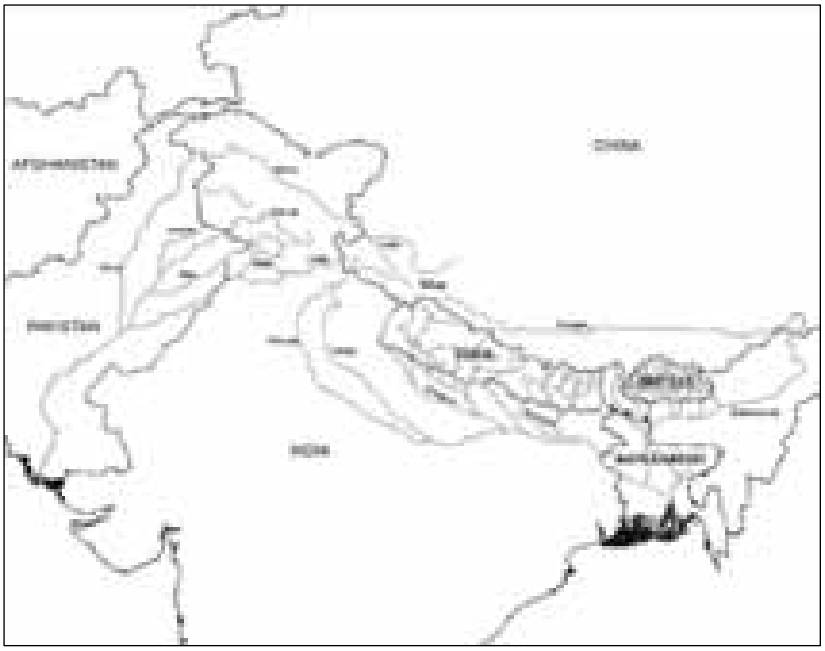

स्रोतः भारत के लिए जल सुरक्षाः बाह्य गतिबोधक, आईडीएसए टास्क

बी. जी. बर्गीस ने सह-तटवर्ती राष्ट्रों के बीच सहयोग के महत्व को बहुत उपयुक्त रूप से अपनी पुस्तक *हारनेसिंग दि ईस्टर्न हिमालयन रिवर्स* बहुत उपयुक्त तरीके से कुछ इस प्रकार समाहित किया है।

> 'यदि गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदियों के नदीतटों को साझा करने वाले देशों को गरीबी, उपेक्षा तथा बीमारियों को दूर भगाना है व मानवजाति के एक बड़े भाग के लिए उन्नत गुणवत्ता के जीवन को सुनिश्चित करना है तो वे उस समृद्धि से मुंह नहीं मोड सकते जिसको वे हाथ बढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं। वे मतभेद जो उन्हें बांटते हैं तथा उनके जल विवादों में शामिल मात्रात्मक मूल्य उन दूरदर्शी वृहद लाभों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं जो वे आपसी सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं....अंततः इसमें हारा हुआ कोई भी नहीं होगा। इसमें हर कोई लाभ ही प्राप्त करेगा तथा दक्षिण एशिया निवास की दृष्टि से मजबूत, उन्नत और खुशहाल क्षेत्र के तौर पर उभर कर सामने आयेगा'।

उस स्थिति में जहां एक नदी विशेष के लिए 'हितों के समुदाय' की रचना करने वाले एक से अधिक तटवर्तीय देश शामिल हों तो उन्हें नदी को एक स्थायी तरीके से उपयोग करने के लिए एकीकृत कोशिश की आवश्यकता होती है। यह एकीकरण नदियों के प्रबंधन के संस्थानीयकरण के द्वारा किया जाता है।

साझा किये जाने वाले नदीतटों के प्रबंधन का संस्थागतकरण

सीमापार नदियों को संस्थानीयकृत प्रणाली के द्वारा उचित तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। नदी प्रबंधन को मात्र जलस्रोतो के बटवारे अथवा प्रवाह में वद्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता है। नदी एक ऊर्जा

स्रोत भी है तथा पन-बिजली के लिए भी अत्यधिक क्षमता प्रदान करती है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र भी सिचाई के लिए नदी पर ही निर्भर है। इस प्रकार अब नदियां एक-आयामी स्रोत तक सीमित नहीं है लेकिन इसके आश्रित अनेक क्षेत्रों एवं स्तरों पर मौजूद हैं। हालांकि, नदियों का भेदभावपूर्ण उपयोग व मध्यस्थ प्रबंधन न तटवर्ती देशों के बीच न केवल विवाद के रूप में परिणत होगा बल्कि यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर व अस्थायी बनाएगा। नदी प्रबंधन आज न केवल पानी बल्कि खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा को भी अपने में शामिल करता है। संस्थानीयकृत प्रणाली की अनुपस्थिति में सह-तटवर्ती देशों के बीच के विवाद व तनाव को सुलझाना बहुत ही जटिल हो जाता है।

चूंकि सह-तटवर्ती देशों के अन्य राजनीतिक संघर्ष हैं इसलिए विशेषकर दक्षिण एशियाई उप-महाद्वीप के संदर्भ में संस्थानीकरण एक स्पष्ट पारदर्शिता तथा सरल क्रिया-प्रणाली प्रदान करता है। सीमापार नदियों के प्रबंधन में संस्थानीयकरण जमाखोरी को रोकता है और इस प्रकार साझा जल स्रोतों की आपूर्ति और उपयोग की रक्षा करता है।

सीमापार नदियों वाले कई देश नदियों के प्रबंधन और संसाधनों के स्थायी उपयोग के लिए द्विपक्षीय संधियों से बहु-स्तरीय संस्थानों के गठन पर पहुँच चुके हैं। जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैः

यूरोपीय संघ जल रूपरेखा निर्देश (डब्ल्यूएफडी) : यूरोपीय संघ का जल रूपरेखा निर्देश पूरे यूरोपीय संघ में पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रमुख पहल है।

नील घाटी पहलः नील घाटी पहल (एनबीआई) एक अंतर्सरकारी संगठन है जो नौ सह-तटवर्तीय सदस्य देशों नामतः- बुरुंडी, प्रजातात्रिक गणतंत्र कांगो, मिस्र, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान, तंजानिया और युगांडा और एशिया से मिलकर बना है।

मेकोंग नदी आयोगः मेकोंग नदी आयोग (एमआरसी), सहयोग आधार पर मेकोंग नदी घाटी के स्थायी विकास के लिए मेकोंग नदी समझौते के क्रम में 1995 में कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड और वियतनाम द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।

ये एसबीएस संस्थान भी कठिनाइयों अथवा समस्याओं से मुक्त नहीं हैं। हालांकि संस्थानीय तंत्र विवादों के शांतिपूर्ण समायोजन में योगदान करता है तथा सीमापार नदियों के प्रबंधन की कठिनाइयों एवं समस्याओं से पार पाने में एक व्यापक पहुँच को जन्म देते हैं।

जल को साझा करने की क्रियाप्रणाली के संस्थानीकरण की सफलता अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है। दक्षिण एशिया जल पहल (एसएडब्ल्यूआई) की एक रिपोर्ट विश्व बैंक की प्राथमिकताओं को, संस्थानों के विकास के लिए क्रिया-प्रणाली प्रदान करता है और वह भी साझा किए गए अवसरों तथा सीमापार नदियों के प्रबंधन के जोखिमों के लिए उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए मंच प्रदान करता है।

भारत की सीमापार नदियों के संस्थानीगत साझा तटवर्ती स्थलों का प्रबंधन के आवश्यक तत्व

गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदीघाटी विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है और अमेजन नदीघाटी के बाद दूसरे स्थान पर आती है और इस प्रकार की सीमापार नदियों की नदी घाटियों के सहयोगी प्रबंधन की नितांत आवश्यकता है। भारत की सीमापार नदियों के संस्थानीकृत एसबीएम मॉडल के निर्माण के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिएः

1. *बहु-स्तरीय साझा नदीतट प्रबंधन* - एसबीएम के संबंध में एक बहु-सतही स्तर में भारत की भागीदारी उसके वर्तमान द्विपक्षीय प्रयासों के मुकाबले कहीं हद तक प्रभावी होगी। इनके सहयोग को द्विपक्षीय क्रियाप्रणाली तक सीमित रखना नदी की काम में लाने वाली क्षमता को सीमित कर देगा। दक्षिण एशियाई महाद्वीप को राष्ट्रों के बीच साझा की जाने वाली नदी प्रणालियों की बहुलता की क्षमता का दोहन करने के लिए एक क्षेत्रीय तंत्र की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी घाटी में भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश को शामिल करते हुए सहकारी प्रबंधन के लिए अपार संभावनाएं हैं। बहु-सतही संस्थानों का गठन करने में ऊपरी तथा निम्न तटवर्ती देशों जैसे कि नदी के किनारे स्थापित समुदाय के हितों के लिए उन्हें शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है। नदी प्रबंधन पर राजनीतिक बाधाओं को जैसे कि गैरसहकारी तटवर्ती देश जो कई देशों के साझा प्रयासों को सीमित कर देते हैं उनको अन्य सह-तटवर्ती देशों को बहु-सतही संस्थानों को गठित किए जाने से नहीं रोकना चाहिए। मेंकोंग नदी आयोग का गठन किया गया और चीन और म्यांमार के इसके सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वह अभी भी क्रियाशील है। हालांकि, एमआरसी एक संस्थान के रूप में चीन तथा म्यांमार दोनो के साथ वार्ता साझेदार के तौर पर लगा हुआ है और मेकोंग नदी के प्रबंधन की ओर लगातार काम कर रहा है।

2. *पर्यावरण सुरक्षा*: पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की कमी नदी प्रबंधन को प्रभावित करती है। नदियों का पर्यावरणीय रखरखाव तथा सुरक्षा को एसबीएम संस्थानों के क्षेत्र व दायरे में अवश्य समेकित किया जाना चाहिए।

विभिन्न स्रोतो से जल प्रदूषण पर नियंत्रण तथा प्रबंधन को निश्चय ही इस कार्यसूची का हिस्सा होना चाहिए। जल प्रदूषण की रोकथाम और प्रबंधन में साझा चर्चाएं व शमन रणनीतियां अधिक प्रभावी होगी। यह शोक प्रकट करना कि सह-तटवर्ती देश नदी को प्रदूषित कर देते हैं और पानी को निम्न तटवर्ती देशों के लिए अनुपयोगी छोड़ देते हैं को प्रभावपूर्ण ढंग से संयुक्त बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है जहां पर पूरी नदी के प्रदूषण नियंत्रण को सामूहिक रूप से विचारित किया जा सकता है और प्रदूषण के स्तरों के शमन के लिए सहकारी प्रयास किए जाते हैं।

3. *डेटा संग्रहण एवं विनिमय :* नदी प्रबंधन संस्थानों तथा जल संधियों की मौजूदगी के बावजूद भी डेटा संग्रहण और विनिमय विवाद के मुख्य कारणों में से एक है। सीमापार नदी के पानी को साझा करने के लिए नदी के अलग-अलग भागों में पानी के स्तर की निगरानी रखना आवश्यक है। संबंधित राष्ट्रीय संगठन जो डेटा की निगरानी करते हैं उनके द्वारा एकत्रित किए गए डेटा में विसंगति एक ऐसी समस्या है जिसका सामना प्रायः सीमापार नदियों के सह-तटवर्ती देशों के द्वारा किया जाता है। डेटा की निगरानी करके व संयुक्त राष्ट्र जल कार्यक्रम अथवा दि आईयूसीएन, आदि जैसे संगठनों के तृतीय-पक्ष विशेषज्ञों की सहायता से डेटा निगरानी में सहायता लेकर इस स्थिति से बचा जा सकता है। आईयूसीएन जैसे तृतीय पक्ष की मौजूदगी में जल स्तरों पर डेटा निगरानी व संग्रहण तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का संयुक्त संचालन पक्षपात रहित तथा विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है जो सह-तटवर्ती देशों पर मध्यस्थता आरोपणों को रोकता है तथा एक निष्पक्ष और अपक्षपाती संगठन विशेषज्ञता प्रदान करता है।

4. *स्थायी विकास के सिद्धांतों को शामिल करना* : भारत के लिए संस्थानीगत एसबीएम ढ़ांचे को तैयार करने में स्थायी विकास को शामिल करने की आवश्यकता है। स्थायी विकास तटवर्ती संसाधनों की क्षमता को पुनःउत्पादित पर विचार करने को अनिवार्य रूप से शामिल करती है। स्थायी विकास का पहलू पारिस्थितिकी तंत्र को इसके पूर्ण अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करता है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए सावधानीपरक पहल पर विचार करता है। स्थायित्व की अवधारणा नें अपना उचित मान अंतर्राष्ट्रीय न्यायाल के द्वारा गैबसिकोवो-नाग्यमारोस प्रोजैक्ट में प्राप्त किया जहाँ न्यायालय ने माना कि '... पर्यावरण के संरक्षण के साथ आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता... सतत विकास की अवधारणा में व्यक्त की गई '। सीमापार नदियों से संबंधित स्थायी विकास के मूल सिद्धांतों में निवारक सिद्धांतों, प्रदूषक वित्तपोषक सिद्धांतों तथा अंतर्र-पीढ़ीगत निष्पक्षता शामिल हैं। स्थायी विकास के सिद्धांतों को शामिल करना पानी के अधिकारों के फोकस को राज्य संप्रभुता से लेकर राज्य की जिम्मेदारी तक में शामिल करना है। यह मजबूत सार्वजनिक भागीदारी को शामिल करने वाले समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देता है। नीतियों के निर्माण में स्थानीय आबादी के स्वदेशी ज्ञान के उपयोग किये जाने की संस्तुति की जाती है। यह अनेक हितधारकों को शामिल करता है और अधिक प्रभावशाली ढांचे का निर्माण करता है।

5. *मजबूत कानूनी सीमाक्षेत्र:* सीमापार नदियों के प्रबंधन के लिए एक संस्थागत कानूनी क्षेत्र विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का ढांचा प्रदान करता है तथा भेदभाव व झगड़ो को सुलझाने के लिए बातचीत का मंच प्रदान

करता है। किशनगंगा बांध निर्माण के मुद्दे पर भारत तथा पाकिस्तान का विवाद मध्यस्थता के अधीन है तथा मध्यस्थता प्राधिकरण ने भारत के हक में एक आशिक अवार्ड प्रदान कर दिया है जो कि अंतिम है और दोनो पक्षों के द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालनीय है इस प्रकार असहमति की स्थिति में भी सिंधु जल संधि ने मध्यस्थता के द्वारा एक शांतिपूर्ण समाधान पर पहुँचने में मदद की है। एक मजबूत कानूनी क्षेत्र का निर्माण विवादों का त्वरित निपटान तथा पानी के समान बटवारे का ढ़ांचा प्रदान करता है।

6. *सह-तटवर्ती देशों के साथ विचार-विमर्श* : नदियों के किनारों पर परियोजनाओं के विकास को सह-तटवर्तीय देशों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही आगे बढ़ाना चाहिए। निवेश के प्रस्ताव व इन परियोजनाओं के द्वारा मिलने वाले उत्पाद सह-तटवर्ती देशों की रुचि को इनमें जगाता है। तिपाहीमुख परियोजना पर भारत का बांग्लादेश को प्रस्ताव इसका एक उदाहरण है। सीमापार नदियों पर एक बहु-सतही परियोजनाओं के निर्माण को सक्षम बनाना समुदाय की रुचि की सामूहिक जिम्मेदारी को परिवर्धित करती है।

7. *स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय* : सीमापार नदियों के प्रबंधन के लिए अंतर्सरकारी संगठनों तथा बाहरी देशों के साथ, एक दूसरे के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय समितियों को गठित किया जा सकता है। विशिष्ट कार्य समितियों के साथ नामित नदी तट जिलों को स्थापित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। यह एकरूपी नीति के गठन को सक्षम बनायेगा जो स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक अंतर पैदा नही करेगा और एकरूपी होगा। इसलिए, स्थानीय समिति

नीति के निर्माण में भागीदारी करती है और राष्ट्रीय स्तर की समिति के साथ समन्वय करती है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय के हितों व सीमापार नदियों के बंटवारे के नियमों को लागू करते हुए विवेचित किया जाता है।

8. *घरेलू कानून के साथ अनुकूलता-राष्ट्रीय जल नीति 2012 के प्रावधान:* भारत की राष्ट्रीय जल नीति एक अच्छी पहल है विशेषरूप से सीमापार नदियों के मामले में। विकास की एक इकाई के तौर पर नदीतटों के एक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, प्रयोज्यता तथा सरल कार्यान्वयन योग्यता के आधार पर, द्विपक्षीय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में आवश्यकता के आधार पर तुरंत ही जलविज्ञान संबंधी डेटा के विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का निर्माण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी के बटवारे के संबंध में वार्तालाप संबंधित तटवर्ती संघीय देशों के साथ उनकी आवश्यकताओं को सुरक्षित रखते हुए विचारित किये जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए मध्य में पर्याप्त संस्थागत व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

"जल, चारों और जल ही जल, केवल हम बांटे तो" यह वह जीत का नारा था जो 'जल समन्वय का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' पर पेरिस में आयोजित समारोह को प्रारंभ करते हुए भारत की सुश्री मेघा कुमार द्वारा लिखा गया था। यह सीमापार जल बंटवारे पर भारत के सहकारी प्रयासों को बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। जल संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण

प्रतिस्पर्धा की तुलना में समन्वय को अधिक सराहता है। इस प्रकार सह-तटवर्ती देशों के सहयोग को शामिल करते हुए मजबूत कानूनी रूपरेखा से संवर्धित एक समन्वयकारी ढ़ांचे का निर्माण भारत के लिए वर्तमान व भविष्य में जल सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सीमापार नदियों के प्रबंधन के लिए सहकारी प्रयासों को क्षेत्रीय समूहीकरण एक आदर्श मंच प्रदान करेगा। 'गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदियों के जल की क्षमता का दोहन करने के लिए सार्क का दृष्टिकोण शायद एक सहयोगी प्रयास में सबसे दृढ़ता से सन्निहित किया जाएगा '। यह उम्मीदों/जीवन का जल है। ' सार्क का गठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस क्षेत्र में सीमापार नदियां अनेक देशों को जोड़ती हैं और इसलिए सहकारी प्रबंधन जल संसाधनों के उपयुक्ततम उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। जल- कूटनीति सार्क की कार्यसूची में सूचीबद्ध नही है, फिर भी यह न केवल एक आदर्श मंच है, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग का एक आवश्यक तत्व भी है। वार्ता के एक पक्षकार के तौर पर बहु-स्तरीय मंच, जैसा कि एमआरसी ने किया है, के साथ चीन का सहयोग निश्चित रूप से चीन के साथ वर्तमान द्विपक्षीय जल संबंधों की तुलना में जो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी तटों पर बांध के निर्माण के संबंध में अकेले निर्णय ले लेता है, अधिक प्रशंसनीय दिखता है। इस स्तर अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि हस्ताक्षरित करने को एक कदम आगे बढ़ना माना जा सकता है लेकिन इस सहमति के सभी प्रावधानों को वैश्विक तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस सहमति को भारत द्वारा हस्ताक्षरित न करना भारत को अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि में सिद्धांतों

को सुनिश्चित करने वाली सीमापार नदी प्रबंधन के प्रबंधन की फिर से कल्पना, इन सिद्धांतो को क्षेत्रीयता के अनुकूल रहने और उप-महाद्वीपों के भू-राजनीतिक परिदृश्यों का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है।

बहु-सतही नदी प्रबंधन संस्थान को स्थापित करना लाभों को साझा करने, पर्यावरण की रक्षा करने पर आधारित होना चाहिए। एक एसबीएम संस्थान की सफलता के लिए भागीदारी व क्षमता निर्माण प्रचालन महत्वपूर्ण हैं। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुविधा और मध्यस्थता के साथ एक मजबूत कानूनी ढांचे का निर्माण अनिवार्य है। अंततः, बिना वित्तीय सहायता के इनमें से कोई भी विचार या पहल ठोस कार्रवाई में परिवर्तित नहीं हो सकती है।

विश्व बैंक की दक्षिण एशिया जल पहल (एसएडब्ल्यूआई) ने विशेषज्ञों का एक नेटवर्क स्थापित किया और महत्वपूर्ण और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय , अंतर्राष्ट्रीय तटवर्ती क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तरों पर जल संसाधन प्रबंधन और विकास में औसत दर्जे का सुधार के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। तीसरा पक्ष अति आवश्यक वित्तीय सहायता को इसमें शामिल करने में मदद करता है और दक्षिण एशियाई देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था इसमें जोड़ा गया प्रोत्साहन है। सावी (SAWI) की पहल अंतर्र-अनुशासनीय एवं अंतर्क्षेत्रीय, उच्च-स्तरीय नीति पर केन्द्रित रहने वाला, संसदीय एवं सिविल समाज वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विवाद समाधान करने वाली है। यह जल उपयोगकर्ता सह-तटवर्ती देशों तथा व्यक्तिगत सरकारों की मांग के प्रति प्रतिक्रियाशील रहने के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। जल सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों को पूरा करने तथा पारंपरिक जल विवादों से पार पान के लिए विश्व बैंक के सावी (एसएडब्ल्यूआई) जैसी पहलें एक मंच प्रदान करती हैं।

इसमें आईयूसीएन तथा यूनेस्को जैसे संगठनों से सहायता मांगी जा सकती है। यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय जलविज्ञानी कार्यक्रम सीमापार जल संसाधनों

के प्रबंधन से संबंधित शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहु-स्तरीय तथा अंतर्विषयक वार्ता की सुविधा प्रदान करता है। जल की समस्याओं को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए आईयूसीएन अपने जल कार्यक्रमों के द्वारा आईयूसीएन के विशाल नेटवर्क, विशेषज्ञों, सरकारों तथा निजी क्षेत्र के साझेदारों को एकसाथ लेकर आगे बढ़ता है। ये एजेंसियां पनबिजली-कूटनीति के साधनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती हैं।

भारत अपनी सीमापार नदियों के प्रबंधन के लिए एक नये दृष्टिकोण का विकास के लिए एक पहल प्रारंभ कर सकता है। गरीबी उपशमन, खाद्य सुरक्षा तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक समृद्धि जैसी चुनौतियां पनबिजली-कूटनीति की कला पर निर्भर करती है। अब समन्वय का समय आ चुका है तथा भारत को इसे अपनी सीमापार नदियों के विवादित पानी का समाधान करने के एक अवसर के रूप में संजो लेना चाहिए।

समाप्ति टिप्पणी

1 एफएओ जल इकाई , देखें http://www.fao.org/nr/water/issues/scarcity. html

2 शब्द 'सीमापार नदियों' जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय नदियों' के नाम से जाना जाता है का तात्पर्य उन नदियों से है जो "जो या तो दो या दो से अधिक देशों से होकर बहती हो अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को उनकी सीमा से एक दूसरे से अलग विभाजित करती हो "। समय के साथ-साथ शब्द 'अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों' नें सीमापार नदियों तथा अन्य जल निकायों के लिए अधिक स्वीकृति प्राप्त की है। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतो अथवा सीमापार नदियों के शब्दों को परस्पर प्रयोग करता है। विस्तृत विचार के लिए सलमान एम.ए. सलमान तथा किशोर उप्रेती (2004) की कंन्फ्लिक्ट एण्ड को-रिपेरियन आंन साउथ एशियाज इंटरनेशनल रिवर्स *:ए लीगल पर्सपैक्टिव* (वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशंस) को देखें।

3 सैडोफ, सी., ग्रीबर, टी., स्मिथ, एम. एवं बर्गकैंप, जी. (2008)। *साझा करें-मैनेजिंग वाटर अक्रास बाउंड्रीज।* ग्लैंड, स्विटजरलैंड।

4 यूनाइटेड नेशंस, *रजिस्टर ऑफ इंटरनेशनल रिवर्स (*न्यू यार्कःपर्गामोन प्रैस, 1978)

5 वोल्फ, आरोन, टी., अनीका क्रामेर, अलेक्जैंडर कैरियस, एण्ड ज्योफ्री डी. डाबेल्को। 2005. अध्याय 5 मैनेजिंग वाटर कंफ्लिक्ट एण्ड कोआपरेशन. *इन स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड 2005 : रिडिफाइनिंग ग्लोबल सिक्योरिटी।* (दि वर्ल्डवाच इंस्टीट्यूट। वाशिंगटन डी.सी.), पी.83।

6 माइक थॉमसन (2005, फरवरी 6)। पूर्व-यूएन प्रमुख ने जल युद्ध के विषय में चेताया। बीबीसी न्यूज। http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4227869. stm से पुनः प्राप्त

किया गया।

7 अलेक्जैंडर कैरियस, ज्योफ्री डी. डाबेल्को एण्ड आरोन टी. वोल्फ (2004) वाटर, कन्फ्लिक्ट एण्ड कोऑपरेशन से उल्लिखित। *ईसीएसपी रिपोर्ट संस्करण 10*, 60, 60-66. http://www.unep.org/disastersandconflicts/Portals/155/disastersandconflicts/docs/ecp/ ecspr10_unf-caribelko.pdf से दिनांक 25 दिसंबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया है।

8 *एशिया-पैसिफिक वाटर समिट के अभिषेकात्मक भाषण में महा-सचिव नें चेताया है कि कमी सामाजिक-आर्थिक लाभों के मतभेदों को भड़का सकती है।* (7 दिसंबर, 2007) यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफार्मेशन, न्यूज एण्ड मीडिया डिवीजन। दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11311.doc.htm से पुनः प्राप्त किया गया।

9 इन्वायरोनमेंट न्यूज सर्विस (1 जनवरी, 1999), "वाटर वार्स फोरकास्ट इफ साल्यूशन नाट फाउंड"। 25 दिसंबर, 2015 को http://www.ens-newswire.com/ens/jan1999/1999-01-01-02.asp से पुनः प्राप्त किया गया।

10 *दि वर्ल्ड बैंक एण्ड दि वाटर-एनर्जी लिंकेजस* (1 फरवरी, 2013) को डिएगो राड्रिगेज, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, वर्ल्ड बैंक वाटर इनिशिएटिव के साथ साक्षात्कार। दिनांक 28 फरवरी, 2013 को http://www.water-energy-food.org/en/news/view__1088/the-world-bank-and-the- water-energy-linkages.html से पुनः प्राप्त किया गया।

11 चेलानी, ब्रह्मा (2011) वाटरः एशियाज न्यू बैटलग्राउंड। न्यू देल्ही, इंडियाः हार्पर कालिन्स पब्लिशर्स. पेज. 47 पर।

12 अक्वास्टैट। (2011). *इंडिया सर्वे।* संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। पेज 8 पर।

13 2030 जल संसाधन समूह। (2009) *हमारे पानी के भविष्य को समृद्ध करना।* पृष्ठ 5-6 पर।

14 यूएनईपी (2008), वाइटल वाटर ग्राफिक्स- एन ओवरभ्यू ऑफ दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्डस फ्रैस एण्ड मरीन वाटर्स। दूसरा संस्करण। यूएनईपी, नैरोबी, केन्या ; http://www.unep.org/dewa/vitalwater/article141. html पर उपलब्ध।

15 चेलानी ब्रह्मा, (7 फरवरी, 2013) चाइना हाइड्रो-हैजेमोनी। *दि न्यू यार्क टाइम्स।* 28 फरवरी, 2013 को http://www. nytimes.com/2013/02/08/opinion/global/chinas-hydro-hegemony. html?_r=0 से पुनः प्राप्त किया गया।

16 गोगोई जी एण्ड सरकार यू., (13 दिसंबर, 2013) *लुकिंग ईस्ट, फर्स्ट इन दि लाइन ऑफ* साइट। दि हिंदू। 28 फरवरी, 2013 को The Hindu. Retrieved 28 February 2013 from http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/ looking-east-first-in-the-line-of-sight/ article4415536.ece से पुनः प्राप्त किया गया।

17 पी. के. पंत (15 फरवरी, 2013) *कोशी हाई डैमः इंडियन हाइड्रोक्रेसी*। दिनांक 28 फरवरी, 2013 को http://www.nepaltoday.com.np/ index.php/news-highlights/314-koshi-high-dam-indian-hydrocracy से पुनः प्राप्त किया गया।

18 संवाददाता (19 फरवरी,2013) विवादास्पद परियोजना: *हेग न्यायालय किशनगंगा बांध पर आंशिक पुरस्कार जारी* । 28 फरवरी, 2013 को से http://tribune.com.pk/story/509278/controversial- project-hague-court-issues-partial-award-on-kishanganga-dam/ पुनः

प्राप्त किया गया।

19 स्ट्रैटेजिक फोरसाइट ग्रुप। (2012)। *ब्लू पीस फॉर दि* जूरिख: विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी , राजनीतिक मामलों का निदेशालय। पृष्ठ 1 पर।

20 नौपरिवहन उपयोगो को प्रशासित करने वाले कानून को मुख्यरूप स समुद्री कानून की संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीएलओएस) के द्वारा शासित किया जाता है जो 16 नवंबर 1994 को लागू हुआ था।

21 हैमोन सिद्धांत: इस सिद्धांत को अमेरिका का संपूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे जुडसन हरमन, तत्कालीन अमेरिकी एडवोकेट जनरल द्वारा मेक्सिको के साथ रियो ग्रैंड नदी मामले में 1895 में प्रतिपादित किया गया था। उसने पायानिकम, सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कोई भी आधिकारिक निर्णय अमेरिका पर कोई भी देयता नही थोपते हैं"।

22 मैककैफ्रे, एस.सी. (1996)। हरमन सिद्धांत को एक सौ वर्ष के बादः बरीड नॉट प्रेस्ड। *नेचुरल रिसोर्सेस जरनल* , 549-590, पेज 549। (1895) 21 के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटार्नी जरनल के आधिकारिक मत को भी देखें।

23 सलमान, एस.एम.(2007)। दि हेल्सिंकी नियम, दि यूएन वाटरकोर्सेस कन्वेंसन एण्ड बर्लिन रूल्सः पर्सपैक्टिव आंन इंटरनेशनल वाटर लॉ। *वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, 625-640,* पी. 627,एन. (2010) इस्लाम एन को भी देखें। *दि लॉ ऑफ नॉन-नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटरसोर्सेजः ऑप्शन फॉर रीजनल रीजीम बिल्डिग इन एशिया।* दि नीदरलैंड्सः लूवर लॉ इंटरनेशनल, पृष्ठ 102-105

24 स्पीजेल, सी. (2005)। इंटरनेशनल वाटर लॉ। ड्यूक जरनल ऑफ कंपेरेटिव एण्ड इंटरनेशनल लॉ, 333-361।

25 लेक लैनोक्स-आर्बिट्रेशन-सारांश : लेक लैनॉक्स दक्षिणी फ्रांस में स्पेन की सीमा के नजदीक स्थित है। यह झील फ्रांस से निकलने वाले अनेक झरनों से बनती है। इस झील से पानी एक धारा से निकलता है और स्पेन में घुसने से पहले कैरोल नदी में मिलता है। 1950 में फ्रांस ने बिजली उत्पादन करने के लिए लैनॉक्स झील से 789 मीटर के ड्राप पर पानी को मोड़ने की योजना बनाई। यहां तक कि फ्रांस ने इस बात का वादा भी किया कि वह इस पानी को पुनः कैरोल नदी में मोड़ देगा लेकिन स्पेन ने फ्रांस पर इस विवाद में मध्यस्थता के लिए दबाव बनाया क्योंकि स्पेन का मानना था कि यह योजना 1866 में उसके द्वारा हस्ताक्षरित की गयी पानी के अधिकार की संधियों का उल्लंघन कर देगी। मध्यस्थता प्राधिकरण ने 1957 में एक अधिनिर्णय जारी किया जिसने स्पेन की बहस को शांत कर दिया क्योकि फ्रांस की योजना ने वादा किया था कि वह स्पेन में कैरोल नदी के माध्यम से जाने वाले पानी के आयतन में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि फ्रांस को अपने पड़ोसी देशों को पहुँचाने वाले नुकसान की कीमत पर अपने वैधानिक हितों को एकपक्षीय आधार पर प्रोत्साहित करने की अनुमति नहीं दी गई लेकिन प्राधिकरण स्पेन को चोट पहुँचाने वाले घाव को पहचानने में भी असमर्थ रहा। इसके अलावा, प्राधिकरण नें स्पष्ट किया कि 1866 की संधिया इस प्रकार की किसी भी कारण का निर्माण नहीं करती हैं जो इस प्रकार के सामान्य नियम को पराभूत कर दे कि बहता हुआ जल उस देश की पूर्ण संप्रभुता के अधीन है जहां वे स्थित हैं। 24 अंतर्राष्ट्रीय विधि रिपोर्ट 101 (1957) (स्पेन बनाम फ्रांस)

26 सलमान, एस.एम. (2007)। दि हेल्सिंकी रूल्स, दि यूएन वाटरकोर्सेस कन्वेंशन एण्ड दि बर्लिन रूल्सः पर्सपैक्टिव्स आंन इंटरनेशनल वाटर लॉ। *वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट,* 625-640, पी.627।

27 साहित्यिक रूप से अनूदित किया जाए तो इसका अर्थ यह है कि “अपनी संपत्ति का इस प्रकार उपयोग करें कि दूसरे को नुकसान न

पहुँचे"। इस रोमन लॉ नियम के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून पर अनुप्रयोग के लिए विस्तृत व्याख्या को देखें, टयूमस कुओकानेन, *इंटरनेशनल लॉ एण्ड दि इनवायरॉनमेंटः वैरिएशन आंन ए थीम* (हेगः लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2002), 57-58।

28 इस्लाम एन. (2010)। *दि लॉ ऑफ नान-नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेसः ऑप्शन फॉर रीजनल रीजीम बिल्डिग इन* एशिया। दि नीदरलैंड्सः लूवर लॉ इंटरनेशनल, पी. 110

29 टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉमन ऑफ रिवर आर्डर (यू.के. वी. पॉल), 1929 पी.सी.आई.जे (श्रंखला.ए) सं. 23 (10 सितंबर) का सारांश : वर्साय की संधि ने ओडर नदी और उसकी सहायक नदियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियमों को फिर से बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की। पोलैंड पोलिश क्षेत्र के भीतर दो सहायक नदियों पर क्षेत्राधिकार के आयोग के दावे से असहमत हो गया ; क्योंकि सहायक नदियाँ "नौगम्य" और "स्वाभाविक रूप से समुद्र तक पहुंच के साथ एक से अधिक देशों से होकर गुजरने वाली पाई गई थीं न्यायालय नें माना कि क्षेत्राधिकार पोलिश क्षेत्र के भीतर नौगम्य सहायक नदियों के लिए विस्तारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय के लिए http://www.internationalwaterlaw.org/cases/river-oder.html देखें।

30 *पूर्वोक्त।*

31 अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ की स्थापना ब्रूसेल्स में 1873 में हुई थी। इसको गठित किए जाने के उद्देश्यों में "अध्ययन, स्पष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, सार्वजनिक और वैयक्तिक दोनों, तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर" शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के कई देशों की विशेष एजेन्सियों के साथ एक

अतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन के तौर पर आईएलए का विमर्शी स्तर है। आईएलए पर आगे की जानकारी के लिए http:// www.ila-hq.org/en/about_us/index.cfm देखें।

32 अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थान की स्थापना 8 सितंबर, 1973 को बेल्जियम में घेंट टाउन हाल में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जानी-मानी संस्थाओं के ग्यारह अंतर्राष्ट्रीय वकीलों ने एक साथ मिलकर किसी भी सरकारी प्रभाव से मुक्त एक संस्था को गठित करने का फैसला किया था जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान कर सके तथा इस प्रकार कार्य कर सके यह क्रियान्वित हो, दोनो में योगदान कर सके; आईआईएल की आगे की जानकारी के लिए http:// www.idi-iil.org/index.html देखें ; आईआईएल 1961 के सालबर्ग सत्र में अपनाया गया इसके सामान्य सिद्धांत गैर-समुद्री पानी के गैर-नौवहन उपयोग पर लागू है। इसका विवरण http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1961_salz_01_en.pdf पर देखा जा सकता है।

33 अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रगतिशील विकास और इसके कोडीकरण के प्रचार के लिए की गई थी। इसके इतिहास, संगठन, संरचना और कार्यों का विस्तृत विवरण http://www.un.org/law/ilc/ पर देखा जा सकता है।

34 पहली बार पढ़ने के लिए मसौदा अनुच्छेद 1991 में प्रस्तुत किया गया था जो (1991) 2(2) वाईबी आईएलसी, 66 पर उपलब्ध है। Draft दूसरी बार पढ़ने के लिए मसौदा अनुच्छेद 1994 में प्रस्तुत किया गया था जो (1994) 2(2) वाईबी आईएलसी; पर उपलब्ध है। और http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/English/commentaries/8_3_1994.pdf पर भी उपलब्ध है।

35 अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों के गैर-नौवहन उपयोग पर संधि यूएनजीए स्थापना 51/229, 21 मई, 1997 http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997. Pdf पर उपलब्ध है।

36 19 मार्च, 2013 तक। अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतो पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि को देखने के लिए आगे दिए गए यूआरएल पर जाएं। http://treaties.un.org/

Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en

37 बुरुंडी, चीन तथा तुर्की के इसे खिलाफ वोट करने के साथ कुल 103 देशों नें इस संधि के लिए वोट किया। दो इससे दूर रहे तथा 52 देशो ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।

38 संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रैस विज्ञप्ति जीए/9248 http://www.un.org/News/Press/docs/1997/19970521.ga9248.html पर उपलब्ध है।

39 *पूर्वोक्त*

40 सलमान, एस.एम. (2007)। दि हेल्सिंकी रूल्स, दि यूएन वाटरकोर्सेस संधि तथा दि बर्लिन रूल्सः पर्सपैक्टिव आंन इंटरनेशनल वाटर लॉ। *वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट,* 625-640, पृष्ठ 631

41 *गैब्सिकोवो-नाग्यामारोस प्रोजेक्ट (हंगरी/स्लोवाकिया), निर्णय,* आई.सी.जे रिपोर्टर्स 1997, पृष्ठ 7 पर

42 सी., सैडॉफ़, ग्रीबर, टी।, स्मिथ, एम। और बर्गकैंप, जी। (2008)। साझा किया-सीमाओं के पार पानी का प्रबंधन। ग्लैंड , स्विट्जरलैंड। पृष्ठ संख्या 55 था।

43 हेल्सिंकी रूल्स, 1966 का अनुच्छेद V ।

44 मैककैफ्रे, एस. सी. (2007)। दि लॉ ऑफ इंटरनेशनल वारटरसोर्सेस। न्यू यार्कः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रैस, पृष्ठ क्रमांक 406 पर।

45 अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुच्छेद 7, 1997 इस प्रकार है:

बाध्यता महत्वपूर्ण नुकसान नहीं करती है।

जलस्रोतों वाले देश, एक अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत के पानी का अपने अधिकारक्षेत्र में उपयोग करते समय दूसरे जलस्रोत वाले देश को होने

वाले महत्वपूर्ण नुकसान को रोकने का पूरा प्रयास करेंगें।

1. जहां पर, फिर भी दूसरे जलस्रोत देश को महत्वपूर्ण हानि हो जाती है तो, तो वे देश जिनके उपयोग से इस प्रकार की क्षति को कारित की जाती है, इस प्रकार के उपयोग के लिए समझौते के अभाव में, अनुच्छेद के 5 तथा 6 प्रावधानों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, प्रभावित हुए देशों के साथ विचार-विमर्श के बाद इन नुकसानों के शमन के लिए तथा जहां उचित लगे वहां पर क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर विचार विमर्श करते हुए सभी उचित उपाय करेगा।

46 मसौदा अनुच्छेद 8 की टिप्पणी देखें: आयोग की अपने चालीसंवे सत्र के काम की रिपोर्ट आम सभा को अपने चालीसंवे सत्र में (1988) 2(2) वाईबी आई सी (26) हैं।

47 अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतो के गैर-नौवहन उपयोग पर टिप्पणी 1 का पैरा 1 से 8, 1944 मसौदा अनुच्छेद जैसा कि इसे इसके दूसरे अध्ययन में 1994, यूएन. डीओसी. ए/सीएन.4/एल.493 ; (1994) 2(2) वाईबी आईएलसी में अपनाया गया था; यह आगे दिये जा रहे इस लिंक पर भी उपलब्ध है।

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/English/commentaries/8_3_1994.pdf

48 इस्लाम, एन. (2010). *दि लॉ ऑफ नान-नैविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेसः ऑप्शन फॉर रीजनल रिजीम बिल्डिंग इन* एशिया। दि नीदरलैंडः लूवर लॉ इंटरनेशनल, पृष्ठ 155-156

49 अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोतो की संयुक्त राष्ट्र संधि, 1997 के अनुच्छेद 8 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है।:

समन्वय के लिए सामान्य बाध्यताएं

1. जलस्रोत राज्यों को इष्टतम उपयोग और एक अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत की पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए संप्रभु समानता , क्षेत्रीय अखंडता , पारस्परिक लाभ और सद्भाव के आधार पर सहयोग करेगा।

   इस तरह के सहयोग की विधियों को निर्धारित करने में , जलस्रोत वाले देश क्रियाप्रणालियों अथवा आयोगों की जैसा भी उन्हे उचित लगे, विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा संयुक्त तंत्र और आयोगों में सहयोग के माध्यम से प्राप्त अनुभव के प्रकाश में प्रासंगिक उपायों और प्रक्रियाओं पर सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी स्थापना के विषय में सोच सकते हैं।

50 अरकारी, एम., एण्ड तांजी, ए.(2001). *दि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन आंन दि लॉ ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेस।* लंदन/दि हेग/बोस्टनःलूवर लॉ इंटरनेशनल

51 अरकारी, एम., एण्ड तांजी, ए.(2001). *दि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन आंन दि लॉ ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेस।* लंदन/दि हेग/बोस्टनःलूवर लॉ इंटरनेशनल

52 मैककैफ्रे, एस. सी. (2007)। दि लॉ ऑफ इंटरनेशनल वारटरसोर्सेस। न्यू यार्कः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रैस, पृष्ठ क्रमांक 471 पर।

53 मैककैफ्रे, एस. सी. (2007)। दि लॉ ऑफ इंटरनेशनल वारटरसोर्सेस। न्यू यार्कः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रैस, पृष्ठ क्रमांक 410 पर।

54 अंतर्राष्ट्रीय जलस्रोत पर यूएन कंन्वेशंन इस प्रकार से है:

संभावित प्रतिकूल प्रभावों के साथ नियोजित उपायों के संबंध में अधिसूचना:

> उन नियोजित उपायों को जो जलस्रोतों वाले देशों पर महत्वपूर्ण नुकसान डाल सकती है को एक जलस्रोत वाले देश के द्वारा अनुप्रयोग करने से पहले उन देशों को इस संबध में समय रहते सूचना दी जानी चाहिए। नियोजित उपायों के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए अधिसूचित राज्यों को सक्षम बनाने के लिए, इस सूचनाओं के साथ किसी भी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के परिणामों सहित , उपलब्ध तकनीकी डेटा और जानकारी संलग्न होनी चाहिए।

55 इस्लाम, एन. (2010). *दि लॉ ऑफ नान-नैविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेसः ऑप्शन फॉर रीजनल रिजीम बिल्डिंग इन* एशिया। दि नीदरलैंडः लूवर लॉ इंटरनेशनल, पृष्ठ 166 इसके अलावा अनुच्छेद 12, 1994 मसौदा अनुच्छेद पर टिप्पणी के पैरा 2 को भी देखें।

56 दीक्षित एस. (30 जनवरी, 2013) *न्यू देल्ही इन्वाइटस ढाका स्टेक इन डैम्स आंन कॉमन रिवर्स।* दि हिंदू। दिनांक 28 फरवरी, 2013

को Retrieved 28 February 2013 from http://www.thehindu.com/news/national/new-delhi-invites-dhakas-stake-in-dams-on-common-rivers/article4358241.ece से पुनः प्राप्त किया गया।

57 बैरट, एस. (2003)। *इन्वायरानमेंट एण्ड स्टेटक्राफ्टः दि स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वायरोनमेंट ट्रीटी मेकिंग। आक्सफोर्डः आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय।* पृष्ठ 126 पर ।

58 विदेशी संबंधों पर संक्षिप्त सार http://www.mea.gov.in/ foreign-relations.htm पर मौजूद है।

59 एक्वास्टैट। (2011) इंडिया सर्वे। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। पृष्ठ-4

60 चेलानी, ब्रह्मा (2011) वाटर। एशियाज न्यू बैटलग्राउंड। न्यू देल्ही, इंडियाः हार्पर कालिन्स पब्लिशर्स। पृष्ठ 244

61 उदाहरणार्थ मिसीसिपी रिवर कमीशन की स्थापना 1879 में हुई, इंटरनेशनल ज्वाइंट कमीशन (आईजेसी) की स्थापना 1961 में अमेरिका तथा कनाडा के द्वारा कोलंबिया नदी संधि के अधीन किया गया था।

62 उदाहरण के लिए दानुले नदी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा 1998 में की गई।

63 वर्गेस, बी. एण्ड अय्यर, आर (1993)। *हार्नेसिंग दि ईस्टर्न हिमालया।* न्यू देल्हीः साउथ एशिया बुक्स। पृष्ठ 25।

64 आगे की जानकारी के लिए इस यूआर एल को देखें। http://ec.europa.eu/environment/water/ water-framework/index_en.html

65 आगे की जानकारी के लिए इस यूआर एल को देखें। http://nileis.nilebasin.org/content/shared- vision-program

66 आगे की जानकारी के लिए इस यूआर एल को देखें। http://www.mrcmekong.org/

67 विश्व बैंक (2011), साउथ एशिया वाटर इनीशिएटिवःवार्षिक रिपोर्ट 2011, पृष्ठ 10

68 इस्लाम, एन. (2010). *दि लॉ ऑफ नान-नैविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्सेसः ऑप्शन फॉर रीजनल रिजीम बिल्डिंग इन* एशिया। (179-243) दि नीदरलैंडः लूवर लॉ इंटरनेशनल, पृष्ठ 179

69 *पूर्वोक्त*

70 *गैब्सिकोवो-नाग्यामारोस प्रोजेक्ट (हंगरी/स्लोवाकिया), निर्णय,* आई.सी.जे रिपोर्टर्स 1997, पृष्ठ 7 पर

71 *गैब्सिकोवो-नाग्यामारोस प्रोजेक्ट (हंगरी/स्लोवाकिया), निर्णय,* आई.सी.जे रिपोर्टर्स 1997, पृष्ठ 140 पर

72 परसारी जी. (19 फरवरी, 2013) *इंडिया केन गो अहेड विद किशनगंगा।* दि हिंदू में 28 फरवरी, 2013 से पुनः प्राप्त किया गया इस यूआरएल पर उपलब्ध http://www.thehindu.com/news/national/india-can-go-ahead-with-kishenganga/article4428969. ece

73 पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, *रिपोर्ट समरी ड्राफ्ट नेशनल वाटर पालिसी 2012, 28 फरवरी, 2013 को इस यूआर एल से पुनः प्राप्त किया गया।* http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1345794528_Draft%20_National%20Water%20Policy%202012-Summary.pdf

74 वर्गेश, बी. (2007)। *वाटर ऑफ होपः फेसिंग न्यू चैलेंजस इन*

हिमालया-गंगा कोआपरेशन। न्यू देल्हीः इंडिया रिसर्च प्रैस। पृष्ठ ..

75 पीटीआई, (30 जनवरी, 2013) *चाइना टु कंस्ट्रक्ट थ्री मोर डैम्स आंन ब्रह्मपुत्र* रिवर। 28 फरवरी 2013 के दि टाइम्स ऑफ इंडिया से http://timesofindia.indiatimes.com/world/china/ China-to-construct-three-more-dams-on-Brahmaputra-river/ articleshow/18257155.cms

76 दक्षिण एशिया जल पहल का प्रारंभिक केंद्र ज्ञान और संस्थानों का निर्माण करना, और देशों के भीतर, तटवर्ती क्षेत्रों और पूरे क्षेत्र में सूचना-आधारित संवाद को बढ़ावा देना है। यह विश्व बैंक तथा अन्य दाताओं से क्षेत्र में जल प्रबंधन में भविष्य के निवेशों के लिए परियोजना तैयार करने में मदद करेगा। यह अबू धाबी संवाद का समर्थन करता है, जो 2006 से क्षेत्रीय जल सहयोग पर अनौपचारिक बातचीत में जल क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साथ लेकर आया है। 14 दिसंबर 2013 से पुनः प्राप्त किया गया है। http://www. ausaid.gov.au/countries/southasia/swa-regional/Pages/init-economic- water.aspx

77 आगे की जानकारी के लिए http://www.unesco.org/new/en/natural- sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/pccp/ देखें।

78 आगे की जानकारी के लिए http://www.iucn.org/about/work/ programmes/water/wp_about_water_prog/ देखें।

गणेश श्रीकुमार वर्मा यूनिवर्सिटी लॉ कालेज, बैंगलौर से 2012 में विधि में स्नातक हैं। उन्होंने अपनी इंटर्नशिप और अन्य अल्प-कालिक परियोजनाओं में अनेक विधि संस्थानों के साथ काम किया है। अपने रुचि के क्षेत्र में केंद्रित करते हुए व अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपनी विशेषज्ञता के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद के साथ एक शोध इंटर्नशिप की तथा सीमापार नदियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभिन्न अन्य कानूनी पहलुओं को साझा करने के कानूनी सिद्धांतों पर काम किया।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़,

ISBN 978-93-83445-02-8
9 789383 445028

नई दिल्ली-110001